

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2019—चैत्र 15, शक 1941

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019

क्र. ई-1-95-2019-5-एक.—श्री आनंद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2001), आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आनंद कुमार शर्मा द्वारा आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल वि.क.अ.-सह-आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्री रवीन्द्र सिंह, भाप्रसे (2004), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, खाद्य सुरक्षा पदस्थ किया जाता है.

(4) उपरोक्तानुसार श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, खाद्य सुरक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन नियमावली) 2016 के

नियमों के अन्तर्गत नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(5) उपरोक्त कंडिका (3) के अनुक्रम में श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, खाद्य सुरक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को केवल आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के प्रभार से मुक्त करते हुए, उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(6) उपरोक्तानुसार श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वासि विभाग तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2019

क्र. ई-1-82-2019-5-एक.—श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड तथा वि.क.अ-सह-सदस्य (पुनर्वासि), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री पंकज अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे (1987), वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार), केवल उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

क्र. ई-1-107-2019-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07 मार्च 2019 द्वारा:—

(1) श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे (2013) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को अपर कलेक्टर, ग्वालियर पदस्थ किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) सुश्री तन्वी हुड्डा, भाप्रसे (2014) अपर कलेक्टर, सागर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पदस्थ किया गया है, एतद्वारा संशोधित करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-108-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

#### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री आशीष सक्सेना (2005), कलेक्टर, जिला होशंगाबाद.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.
2	श्री शीलेन्द्र सिंह (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर.	कलेक्टर, जिला होशंगाबाद.

क्र. ई-1-109-2019-5-एक.—श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2009), उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग को दिनांक 14 से 23 मार्च 2019 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार श्री के. के. सिंह, भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे प्रमुख सचिव, किसान कल्याण विभाग तथा प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (अति. प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विक्रम-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विक्रम-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे एवं डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-990-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे (2005), तत्कालीन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (वर्तमान में परियोजना संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) को निम्नानुसार अर्जित/लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है:—

- दिनांक 15 से 22 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित (कार्योंत्तर).
- दिनांक 7 से 27 जनवरी 2019 तक इक्कीस दिन का लघुकृत अवकाश (कार्योंत्तर).

(2) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2019

क्र. ई-5-594-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग एवं तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड को आईटीआई सिंगापुर में दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक, दिन तक Study Visit में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 21 से 23 मार्च 2019 तक, तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग एवं तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2019

क्र. ई-1-117-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अमर पाल सिंह (2009) कलेक्टर, जिला उमरिया.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.
2	श्री छोटे सिंह (2010), कलेक्टर, जिला भिण्ड.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय.
3	डॉ. विजय कुमार जे. (2011) संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल.	कलेक्टर, जिला भिण्ड
4	श्री स्वरोचिष सोमवंशी (2012) प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल.	कलेक्टर, जिला उमरिया

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2019

क्र. ई-5-897-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. के. जैन, आयएस., (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को दिनांक 11 मार्च से 12 अप्रैल 2019 तक, तैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 मार्च 2019 एवं 13, 14 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-991-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिल सुचारी, आयएस., (2006) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल को दिनांक 25 फरवरी 2019 से 1 मार्च 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल सुचारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2019

क्र. ई-5-870-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अविनाश लवानिया, आयएस., (2009) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर मध्यप्रदेश को दिनांक 18 से 26 मार्च 2019 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-884-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, आयएस., (2010) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-1-120-2019-5-एक.—श्री इलैया राजा टी. भाप्रसे (2009) उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विमानन संचालनालय का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

क्र. ई-1-118-2019-5-एक.—श्री गिरीश शर्मा, भाप्रसे (2011), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सलाहकार, नगरीय प्रशासन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री गिरीश शर्मा द्वारा सलाहकार, नगरीय प्रशासन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन नियमावली) 2016 के नियमों के अंतर्गत सलाहकार, नगरीय प्रशासन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के असंगीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संगीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-1-124-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री पंकज राग (1990) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त सह-संचालक, संस्कृति मध्यप्रदेश एवं आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश.

- (1) (2) (3) मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
- 2 श्रीमती रेनू तिवारी (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग एवं नियंत्रक, संस्कृति विभाग तथा शासकीय मुद्रण तथा लेखन आयुक्त-सह-संचालक, सामग्री. म. प्र. भोपाल. स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त सह-संचालक, संस्कृति, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार).
- (2) उपरोक्तानुसार श्री पंकज राज द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एफको तथा आयुक्त-सह-संचालक पुरातत्व एवं संग्रहालय (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
- (3) श्रीमती रेनू तिवारी द्वारा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दुर्ग विजय सिंह, भाप्रसे (2004), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
- क्र. ई-126-2019-5-एक.—श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है।
- (2) उपरोक्तानुसार श्रीमती वीरा राणा द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरुद्ध मुकजी, भाप्रसे (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं विमानन विभाग एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
- (3) उपरोक्तानुसार कण्डिका-1 के अनुक्रम में श्रीमती वीरा राणा द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन नियमावली) 2016 के नियमों के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अध्यक्ष राजस्व मण्डल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-127-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शशिभूषण सिंह (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल.	उपसचिव
2	श्री छोटे सिंह (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर.	—

क्र. ई-1-128-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आशीष सक्सेना (2005), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल.	—
2	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	—
3	श्रीमती नेहा मारव्या (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	—
4	श्रीमती ऊषा परमार (2011) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई-5-576-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजेश राजौरा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा उद्योग नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग को दिनांक 8 से 24 अप्रैल 2019 तक, सत्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 अप्रैल 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा उद्योग नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2019

क्र. ई-1-123-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न

रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री बी. एम. शर्मा (2001), कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.	सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर.
2	श्री महेश चन्द्र चौधरी (2001), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.	कमिश्नर, ग्वालियर संभाग ग्वालियर.

क्र. ई-1-130-2019-5-एक.—श्री संजय कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2011), संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुंबई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड मुंबई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2019

क्र. ई-1-131-2019-5-एक.—श्री विनोद कुमार, भाप्रसे (1989), प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) श्रीमती रेनु तिवारी, भाप्रसे (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रभार से तथा श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण, परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग (अतिरिक्त प्रभार), केवल जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2019

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मानव अधिकार प्रकोष्ठ को दिनांक 1 से 05 अप्रैल 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मार्च 2019 एवं 06, 07 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मानव अधिकार प्रकोष्ठ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मानव अधिकार प्रकोष्ठ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-885-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरूण राठी, भाप्रसे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक, (कार्मिक) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल एवं उपसचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 27 से 30 मार्च 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से सौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक, (कार्मिक) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल एवं उपसचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री तरूण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2019

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग) को दिनांक 08 फरवरी से 08 मार्च 2019 तक, उन्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, भाप्रसे (2007), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य

विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मार्च एवं 24 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-972-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष भार्गव, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को दिनांक 22 मार्च से 05 अप्रैल 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ 21 मार्च 2019 एवं 06, 07 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव।**

भोपाल, दिनांक 09 मार्च 2019

क्र. एफ 3-2-2018-एक-4.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 द्वारा आदिवासी दिवस पर दिनांक 09 अगस्त, 2019 शुक्रवार को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था। अब शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर दिनांक 09 अगस्त, 2019 शुक्रवार को सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सी. बी. पड़वार, उपसचिव।**

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2019

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 01 फरवरी 2019, 02 फरवरी 2019, 06 मार्च 2019 एवं 07 मार्च 2019 कुल चार दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अर्चना सोलंकी, उपसचिव "कार्मिक"।**

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2019

क्र. ई-5-650-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 फरवरी 2019 द्वारा दिनांक 11 से 15 फरवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 11 से 20 फरवरी 2019 तक दस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत कार्योंत्तर किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 फरवरी 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्र. ई-5-850-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएस., आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 06 फरवरी 2019 द्वारा दिनांक 23 फरवरी से 02 मार्च 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2019

क्र. ई-5-951-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा दिनांक 05 से 08 मार्च 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 05 से 07 मार्च 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 फरवरी 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-751-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पवन कुमार शर्मा, आयएस., (1999) तत्कालीन सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल (वर्तमान में आयुक्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर) को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 फरवरी 2019 द्वारा दिनांक 05 मार्च से 12 अप्रैल 2019 तक उन्तालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक"।**



## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

क्र. एफ-1(ए)68-2011-ब-2-दो-संशोधन.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2019 को निरस्त करते हुए श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर को दिनांक 28 जनवरी से 17 अप्रैल 2019 तक अस्सी दिवस प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

## शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 1768-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, विभागीय आदेश क्रमांक 1481-2019-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 मार्च 2019 के तारतम्य में सरल क्रमांक 2 पर अंकित श्री रूपम वेदी के नाम के समक्ष उल्लेखित पदनाम “22वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर” के स्थान पर, “23वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर” पढ़ा जावे।

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1846.—(मेरिट क्र. 32), राज्य शासन, श्री अखिलेश चाँडक पुत्र श्री राम कुमार चाँडक को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 21 नवम्बर 1993 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1853.—(मेरिट क्र. 44), राज्य शासन, श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 17 मार्च 1990 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1860.—(मेरिट क्र. 103), राज्य शासन, सुश्री रीना पिपल्या पुत्री श्री रमेश चन्द्र पिपल्या को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 सितम्बर 1990 है।

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1862.—(मेरिट क्र. 47), राज्य शासन, सुश्री अपूर्वा मिश्रा पुत्री श्री राकेश कुमार मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला लखिमपुर खेरी (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 मार्च 1995 है।

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2019

फा. क्र. 1611-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री अरविन्द कुमार शुक्ला,

जिला न्यायाधीश (वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स-1958 के नियम 16(2-ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 में वर्णित नोटिस की अनिवार्यता अवधि में छूट प्रदान करते हुए एवं उनकी नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-04-2019-सूअप्र-एक 9, दिनांक 27 फरवरी 2019 द्वारा "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश" के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप, उनके द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करने के दिनांक से डीम्ड सेवानिवृत्ति (deemed retirement) अनुज्ञात करता है।

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2019

फा. क्र. 17(ई)67-2008-1903-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रमाकांत भारके, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैद्वन, जिला सिंगरौली की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1918.—(मेरिट क्र. 43), राज्य शासन, श्री कुशाग्र अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला खंडवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 22 दिसम्बर 1994 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1922.—(मेरिट क्र. 52), राज्य शासन, श्री कृष्णकांत बागरे पुत्र श्री नागेश बागरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला हरदा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 21 सितम्बर 1995 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1924.—(मेरिट क्र. 01), राज्य शासन, सुश्री पूर्वी तिवारी पुत्री श्री ओम प्रकाश तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई 1994 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1943.—(मेरिट क्र. 66), राज्य शासन, सुश्री नेहा तोमर पुत्री श्री बृजभूषण सिंह तोमर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 3 जुलाई 1994 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1949.—(मेरिट क्र. 63), राज्य शासन, श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री राधाबल्लभ शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त 1992 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1956.—(मेरिट क्र. 34), राज्य शासन, श्री अमित कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री रामलखन शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 30 जून 1982 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2019

क्र. 606-456-2019-अठारह-पांच.—विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1753-2019-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 18 मार्च 2019 द्वारा श्री रामप्रसाद सोनकर, सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रीवा की सेवायें मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (रिएट) भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से, आगामी एक वर्ष तक के लिए इस विभाग को सौंपी गई हैं।

अतः राज्य शासन, एतद्वारा श्री रामप्रसाद सोनकर, सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रीवा को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (रिएट) भोपाल के पद पर एक वर्ष के लिए, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण के पत्र क्रमांक 392-म.प्र.भ.स.अ.अ.-2019, दिनांक 13 मार्च 2019 के द्वारा पद संरचना में संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी का पद समाप्त कर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया जाना है। उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही विभाग में प्रचलन में है तथा पद सृजित होने के उपरान्त अपीलीय अधिकरण के प्रशासकीय मामले रजिस्ट्रार के स्थान पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा देखे जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव।

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. एफ-11-29-(10-1) 2004-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 11-2-2019-1-9, दिनांक 6 मार्च, 2019 से निगम मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं।

उक्त आदेश के परिपालन में राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (ई) (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करता है।

क्र. एफ-11-1-(11-1) 2006-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 11-02-2019-1-9, दिनांक 6 मार्च 2019 से निगम मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं।

(2) उक्त आदेश के परिपालन में राज्य शासन, एतद्वारा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 20 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक, नियुक्ति करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए संचालक एवं अध्यक्ष नियुक्ति करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
बी. के. चन्देल, उपसचिव।

## नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2019

क्र. एफ-2-11-2010-साठ.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और संचालक, म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्ति करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव।

## औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2019

क्र. 324-267-2019-ए-ग्यारह.—बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., विजयपुर, जिला गुना वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4268 हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 31 मार्च से 30 अप्रैल 2019 तक की छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 1578-एस.टी.-2019.—जिले में पदस्थ हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन यथावत रहेगा.

01. श्री कामेश्वर चौबे, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी कुरई—

प्रभारी अधिकारी—

1. आडिट शाखा
2. सूचना के अधिकार एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सिटीजन चार्टर शाखा
3. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

02. श्री हुनेन्द्र कुमार घोरमारे, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी बरघाट—

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बरघाट.
2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक, लोक न्यास क्षेत्र बरघाट.
3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम बरघाट
4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, बरघाट
5. भू-अर्जन अधिकारी, बरघाट
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

03. श्रीमती सोनल सिडाम मरावी, उप जिलाध्यक्ष, परिवीक्षाधीन दंड कलेक्टर कार्यालय—

प्रभारी अधिकारी—

1. सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय निर्वाचन
2. आपदा प्रबंधन, राहत एवं राजस्व लेखापाल
3. आंग्ल एवं राजस्व अभिलेखागार
4. नाजरात/अल्प बचत शाखा
5. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा तथा प्रेषक एवं मुद्रण शाखा
6. मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा/पुरातत्व एवं संस्कृति/कर्मचारी कल्याण
7. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिये नोडल अधिकारी
8. सहायक अधीक्षक, सामान्य शाखा एवं सहायक अधीक्षक, राजस्व शाखा.
9. मान. मंत्री, सांसद, विधायकगणों से प्राप्त पत्रों का निराकरण.

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.—

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक ऑफिसर	द्वितीय लिंक ऑफिसर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती रानी बाटड	श्री कामेश्वर चौबे	श्री हर्ष सिंह
2.	श्री कामेश्वर चौबे	श्री हर्ष सिंह	श्री हुनेन्द्र कुमार घोरमारे

3. श्री हर्ष सिंह श्री कामेश्वर चौबे श्री हुनेन्द्र कुमार घोरमारे
4. श्री हुनेन्द्र कुमार घोरमारे श्री कामेश्वर चौबे श्री हर्ष सिंह
5. श्रीमती सोनल सिडाम मरावी श्री कामेश्वर चौबे श्री हुनेन्द्र कुमार घोरमारे
6. श्री अंकुर मेश्राम श्रीमती रजनी वर्मा श्री हुनेन्द्र कुमार घोरमारे
7. श्रीमती रजनी वर्मा श्री अंकुर मेश्राम श्री हुनेन्द्र कुमार घोरमारे

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी,  
मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 11 मार्च 2019

क्र. एस.सी.-2-स्था.अव.-18-2019-2675.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एम 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रियंका दास (आई. ए. एस.) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना वर्ष 2019 के लिये निम्नानुसार मुरैना जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	22 मार्च 2019	शुक्रवार	होली की भाई दूज
2	7 अक्टूबर 2019	सोमवार	दशहरा (महानवमी)
3	28 अक्टूबर 2019	सोमवार	गोवर्धन पूजा

यह आदेश कोषागारों एवं उप कोषागारों के लिये प्रभावशील नहीं होगा.

प्रियंका दास कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी.

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,  
विंध्याचल भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 2019

क्र. 235-फा. दो- 22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34(2) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2019 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 20 मई से 1 जून 2019 तक की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
शिवचरण पाण्डेय, रजिस्ट्रार.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 28 मार्च 2019

क्र. 1960-भू-अर्जन-2019.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति जारी की गयी है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड विद्युत् परियोजना बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी के कोयला परिवहन के लिए रेल्वे लाईन निर्माण हेतु निम्नांकित अनुसूची अनुसार खातेदारों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 10 अनुसार खातेदारों द्वारा प्रारूप "ख" में सहमति प्रस्तुत की गई है, खातेदारों की सहमति अनुसार कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है।

अतः निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

### अनुसूची

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0020/अ-82/2017-18

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सिंचित/असिंचित भूमि का विवरण	अन्य परिसंपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिवनी	घंसौर	बिनेकी कला प. ह. नं.-24.	लच्छी पिता गोविंदी गौड.	113/2	1.35	सिंचित	निरंक
सिवनी	घंसौर	बरेला प. ह. नं.-20.	खेतूलाल पिता सिम्मू बैगा.	664/2	0.40	सिंचित	1350 वर्गमीटर पर नवनिर्मित दुग्ध डेरी फार्म का पक्का सीमेन्ट शेड.
-	योग . .		2	2	1.75	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं  
विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग  
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2019

फा.क्र. ई0पी0-01-2017-चार-104.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82/MP-LA/(01/2017)/2019 (महावीर प्रसाद माझी विरुद्ध श्री ज्ञान सिंह), दिनांक 25 मार्च 2019 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

राकेश कुशारे, उपसचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड़,  
नई दिल्ली-110001  
दिनांक :- 25 मार्च, 2019  
०५ चैत्र, 1941 (शक)

### अधिसूचना

सं० 82/म.प्र.-लो.स./ (01/2017)/2019 :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, महावीर प्रसाद माझी द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2017 की संख्या 01 (महावीर प्रसाद माझी विरुद्ध ज्ञान सिंह) में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ के दिनांक 01.03.2019 के निर्णय/आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

(संलग्न निर्णय यहाँ मुद्रित करें)

आदेश से,  
हस्ता./-  
(अनुज जयपुरियार)  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan

Ashoka Road,

New Delhi-110001

Dated:- 25<sup>th</sup> March, 2019

०५ Chaitra, 1941 (SAKA)

## NOTIFICATION

**No. 82/MP-HP/(01/2017)/2019 :-** In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgment/order dated 01.03.2019 of the Jabalpur Bench of Honb'le High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 01 of 2017 (Mahaveer Prasad Majhi Vs. Gyan Singh) filed by Mahaveer Prasad Majhi.

(HERE PRINT THE JUDGEMENT ATTACHED)


By order,

Sd./-

**(ANUJ JAIPURIAR)**

Principal Secy,

Election Commission of India.



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT  
AT JABALPUR

SECTION PETITION No. 01 of 2017

PETITIONER: -

MAHAVEER PRASAD MAJHI  
son of Ligai Majhi, aged  
about 79 years, resident of  
Ward No.1, Jaithari, Tahsil  
Jaithari District Anoopur,  
M.P.

VERSUS

RESPONDENT: -

GYAN SINGH  
Son of MOTILAL SINGH  
aged about 70 years,  
resident of village  
Chhadakala, Post Office  
Naurajabad, Tahsil and  
District Umaria, M.P.

SECTION 81 REPRESENTATION OF  
PEOPLE ACT, 1951

Petitioner respectfully begs to submit as under: -

That the petitioner is permanent resident of Ward No. 1 Jaithari, Tahsil Jaithari, District Anoopur and he is elector of Anoopur Assembly Constituency reserved Scheduled Tribes and his name is entered at Srl. 221 in Part No.186 in the Electoral Roll of said constituency.

That on 19.11.2016 the bye-election was held in 12 Chhadol Parliamentary Constituency reserved for Scheduled Tribe from where the respondent has been elected.



**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL  
SEAT AT JABALPUR**

**Election Petition No.01/2017**

**Mahaveer Prasad Majhi**

**Vs.**

**Gyan Singh**

**Counsel for the Petitioner: Mr. Ankit Saxena, Adv.**

**Counsel for the Respondent: Mr. B.K. Upadhyay, Adv.**

**Present : Hon'ble Mr. Justice Atul Sreedharan**

**O R D E R**

**(01/03/2019)**

The present election petition has been filed by the Petitioner herein whereby he has challenged the rejection of his nomination paper by the Returning Officer of 12 Shahdol Parliamentary Constituency to which the bye-election was held on 19/11/16. The said Constituency is reserved for Scheduled Tribe candidates. The Respondent Gyan Singh has been elected in the said bye election. It is the contention of the Petitioner that as the nomination paper of the Petitioner has been wrongly rejected by the Returning Officer, the election ought to be set aside under the provisions of Section 100(1)(c) of the Representation of Peoples Act, 1951 (hereinafter referred to as 'the Act, 1951'). No.12 Shahdol Parliamentary Constituency, according to the Petitioner, comprises of 8 Assembly Constituencies,

which are mentioned in para 3 of the petition. In paragraph 4 of the petition, the Petitioner states that he is a Scheduled Tribe and is 'Majhi' by caste and is in possession of the caste certificate issued by the Naib Tahsildar, Jaithari, which reveals his caste as Majhi. A copy of the caste certificate has been annexed to the petition as Annexure P/1. In paragraph 5, the Petitioner has given the schedule of the by-election which was held in the above-mentioned Constituency. From 26/10/16 to 02/11/16 the nomination papers were to be filed. On 03/11/16 the nomination papers were scrutinized. 04/11/16 was the last date fixed for the withdrawal of candidature and allotment of symbol. 19/11/16 was the date of polling and 22/11/16 was the date fixed for counting of votes and declaration of results.

2. The Petitioner is stated to have retired in the year 1997 from the post of Peon from the Education Department. He states that he has contested several elections on the basis of his caste certificate. In paragraph 7, it has been averred that the Petitioner contested the election from 85 Sohagpur Assembly Constituency in the year 2003 and lost the said election. In paragraph 8, it is averred that in the year 2008, the Petitioner contested the election from 87 Anuppur (ST) Assembly Constituency and lost the election. Thereafter, in the year 2014 when General Election to the Parliament was held, the Petitioner contested the election as a member of the 'Majhi' community from the No.12 Shahdol (ST) Parliamentary Constituency, but one Dalpat Singh of the

Bhartiya Janata Party was the returned candidate. As Dalpat Singh died due to his illness before the completion of the tenure, the bye elections were held in November 2016, which has given rise to the present election petition.

3. In paragraph 11, the Petitioner avers that he had submitted his nomination paper on 02/11/16 along with the caste certificate which showed that the Petitioner belonged to the 'Majhi'. There is no dispute that the Petitioner has earlier contested elections as a member of the Majhi Caste.
4. The Petitioner further avers that on the date of scrutiny, the election agent of the Respondent one Anil Gupta raised an oral objection on the nomination paper of the Petitioner stating that the Petitioner did not belong to the Majhi caste and therefore, he had no right to contest the election from the Constituency which was reserved for Scheduled Tribe candidate. In paragraph 13, the Petitioner states that on the basis of the oral objection raised by the election agent of the Respondent, the Returning Officer rejected the nomination paper of the Petitioner on the ground that in the service record of the Petitioner, his caste is shown as 'Dheemar' and the certificate of caste issued by then then Naib Tahsildar, Jaithari, Distt. Shahdol, now District Anoopur, was not the competent authority to issue the said certificate. The competent authority is the Sub-Divisional Office (enue). A copy of the order dated

03/11/16 rejecting the nomination paper of the Petitioner has been filed as Annexure P/2 to the petition.

5. The Petitioner contends that the election deserved to be set aside as the nomination paper of the Petitioner was wrongfully rejected by the Returning Officer. The Petitioner further contends that in the State of Madhya Pradesh, since the year 1962 to 1996, the General Administration Department has published certain circulars for issuance of caste certificate and has authorised several authorities to issue caste the certificate. Notification dated 20/02/91 issued by the General Administration Department authorised several officers including an officer of the rank of Naib Tahsildar to issue the caste certificate to the members of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe at S.No.3 of the said notification. A copy of the notification has been annexed by the Petitioner to the petition as Annexure P/3.
6. According to the Petitioner, the General Administration Department had issued a new circular on 01.08.1996 wherein, the officer not below the rank of Sub-Divisional Officer, was authorised to issue a caste certificate relating to a person from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe, while the Naib Tahsildar had the authority to issue a provisional caste certificate to them whose validity was for a period of six months from the date of issuance of such caste certificate.

Thereafter, on 07.09.1998, the Petitioner states that the General Administration Department again issued a circular wherein, it was mentioned that the persons who are having the caste certificate of Scheduled Tribe belonging to "Majhi" caste, the same should be accepted and no action be taken against them. Yet again, on 18.7.1996, the General Administration Department issued another circular stating therein that once the caste certificate issued by the Competent Authority in favour of a person then a new caste certificate cannot be issued and that the caste certificate can be issued only once.

7. The crux of the Petitioner's case is contained in paragraph 19 of the election petition wherein, the Petitioner has averred that in the year of 1991-92, the Naib Tahsildar was empowered to issue the caste certificate to the persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe hence, the caste certificate issued in favour of the Petitioner by the then Naib Tahsildar was valid and his caste certificate bore No.752/B-121/1991-92.

8. It is the case of the Petitioner that there are several circulars stated to have been issued by the General Administration Department providing that the caste certificate once issued is forever and so, the

caste certificate issued in favour of the Petitioner in the year of 1991, is still valid and has yet not been cancelled till date and by the same certificate, the Petitioner has contested the Assembly election in the year of 2003 from the 85 Sohagpur Assembly Constituency, in the year of 2008 from the 87 Anuppur (ST) Assembly Constituency and in the year of 2014 from the 12 Shahdol (ST) Parliamentary Constituency and therefore, the rejection of the Petitioner's nomination papers by the Returning Officer was unlawful. He further states that the Respondent Gyan Singh himself has issued a caste certificate to the Petitioner on 03/02/99, wherein, he has specifically stated that the Petitioner is the President of Jaithari, Distt. Shahdol (now District Anuppur) and his caste is "Majhi", which is within the purview of Schedule Tribes and has been notified as such by the State Government as well. Thus, the Petitioner contends that the election agent of the Respondent had no right or authority to raise an objection regarding the caste certificate of the Petitioner. Therefore, the Petitioner has challenged the alleged wrongful rejection of his nomination paper as an appropriate ground to set aside the election of the Respondent under Section 100(1)(c) of the Act, 1951.

9. The Respondent has filed the written statement in which he has stated that the petition filed by the election Petitioner is baseless and devoid of any merit and therefore deserves to be dismissed. The Respondent in his written statement has contended that the Petitioner belongs to the "Dhimar" caste, as is apparent from the service record of the Petitioner and that the said caste does not find its presence within the list of Scheduled Tribes and, therefore, the Petitioner could not have stood for an election from the Constituency reserved for the Scheduled Tribe candidate. He further states that merely because the Petitioner had earlier contested the election from Anuppur and Shahdol Constituency in the year of 2008 and 2014, as a member of the Majhi case, that does not give him the right to contest the election in the by-election conducted in the year of 2016, as merely because the Petitioner was wrongly and erroneously permitted to contest the election earlier as Majhi, would not give him a right under the law to perpetuate it. Categorically, the Respondent has denied that the Petitioner belongs to "Majhi" community.

10. The Respondent has also stated that the Petitioner has not given the full reasons behind the rejection of his nomination paper. According to the

Respondent, the impugned order dated 03/11/16 reveals that the complaint was made by one Mr. Anil Gupta. Thereafter, document No.1060 dated 05/01/05, which was placed before the Returning Officer by the Petitioner himself, was examined in which the Petitioner is alleged to have mentioned his caste as "Kahar", which is not notified as a Scheduled Tribe. The Respondent further says that in his service record, the Petitioner has mentioned his case as "Dhimar". Thereafter, the Respondent submits in his written statement that the Returning Officer after examining the various documents, came to the conclusion that the Petitioner has failed to show any evidence that he did not belong to the "Dhimar" community. It is also averred in the written statement by the Respondent that upon examination of a sale deed executed by the Petitioner, his caste is shown as "Kahar". On account of the various discrepancies in the documents in relation to the caste of the Petitioner, he is said to have been called upon to produce his caste certificate. The caste certificate presented by the Petitioner is stated to have been issued by the Naib Tahsildar on which the Returning Officer did not place any reliance observing therein that presently, it is the Sub-Divisional Officer who is authorised to issue the said caste certificate.

▲



Lastly, the Respondent states in his written statement that the Returning Officer has relied upon the instructions issued by the Election Commission in his letter dated 02/07/08 and came to the conclusion that the Petitioner did not belong to any caste included in the list of Scheduled Tribes.

11. The Respondent further categorically denies that the nomination paper of the Petitioner was wrongly rejected by the Returning Officer and that the Petitioner was given sufficient opportunity to prove that he belongs to the Majhi caste, but as different documents showed his caste to be at variance and on account of the caste certificate submitted by the Petitioner being not issued by the Competent Authority, the Petitioner's nomination was correctly rejected by the Returning Officer.

12. Vide order dated 7.9.2017, this Court had framed 12 issues in this case, which are which are mentioned hereinbelow :-

1. Whether the Petitioner is from the Manjhi Caste? **YES**

2. Whether the election, in so far as it concerns the Respondent, has been materially been affected by the non-acceptance of the Petitioner's nomination? **ISSUE INCORRECTLY FRAMED, THEREFORE - NO**

3. Whether the nomination of the petitioner has been improperly rejected and if so, its effect? **YES - EFFECT IS THE DECLARATION OF THE BYE ELECTIONS IN QUESTION AS VOID U/S. 100(1)(C) OF THE R.P. ACT.**

4. Whether the Petitioner contested for the 85 Sohagpur Assembly Constituency in the year 2003 from the 87 Anuppur (ST) Assembly Constituency in the year 2008 and from the 12 Shahdol (ST) Parliamentary Constituency in the General Election in the year 2014 on the basis of a caste certificate showing him as a member of the Manjhi community. **NOT PROVED**

5. Whether the act of the Petitioner allegedly showing himself as a Kahar in a sale deed and as a Dheemer in his service records, equitably estops the Petitioner from claiming himself to be a member of the Manjhi community? **NO**

6. Whether the caste certificate issued to the Petitioner by the Tahsildar in the year 1991-92, showing the Petitioner as a member of the Manjhi community was valid as on November, 2016 when the Petitioner presented his nomination paper for the bye election to the Shahdol Constituency? **YES**

7. Whether the caste certificate issued previously by an authority other than the Sub-Divisional Officer (Revenue), which otherwise was valid and legitimate when it was issued, stands invalidated on account of the change in the appropriate authority empowered to issue caste certificate on a later date? **NO**

8. Whether the non-consideration by the Returning Officer of the caste certificate issued to the Petitioner by the Naib Tahsildar, Jaithari, in the year 1991-92,

**K**

showing the Petitioner as a member of the Manjhi community in view of the reasoning given by the Returning Officer in his order dated 03/11/2016 that "as presently, the appropriate authority empowered to issue caste certificate is the Sub-Divisional Officer (Revenue)" is in accordance with law?  
**NO**

9. Whether the Returning Officer was justified in relying upon documents other than the caste certificate of the Petitioner such as, as sale deed purported to have been executed by the Petitioner in which the Petitioner is stated to have shown himself to be a Kahar (a Non-Scheduled Tribe) and the service record of the Petitioner where the Petitioner is shown as a Dheemer? **NO**

9A- Whether, this act on the part of the Returning Officer was in violation of the letter of the Election Commission bearing NO. 4/3/2008/JS-II/Vol.III dated 02/07/2008. **YES**

10. Whether the finding of the Returning Officer for the bye-elections to the Shahdol Parliamentary Constituency in November 2016 that the Petitioner belongs to the Dheemar caste is legally sustainable? **NO**

11. Whether the Petitioner has succeeded in proving his case? **YES**

12. Orders as to relief and cost?"

13. The order that has led to the filing of the instant Election Petition is Ex. D/4, which resulted in the rejection of the nomination form of the Petitioner. The said order gives the genesis behind this case.

It reveals that one Anil Gupta, who was the election agent of the candidate for the Bhartiya Janata Party, had taken an objection with regard to the nomination form filed by the Petitioner of Constituency 12, Shahdol, Distt. Anuppur, for contesting the by-election which was scheduled for 19/11/16. The said nomination form was called into question by Mr. Anil Gupta on the ground that the caste certificate annexed therewith, has not been issued by the appropriate authority. It further observes that document No.1060 dated 05/01/05, which is the sale-deed executed by the Petitioner, shows his caste as "Kahar", which is a non-Scheduled Tribe community. It has also taken into consideration that the service book of the Petitioner shows his caste as "Dhimar". The said order further observes that the Petitioner has accepted these documents as true and correct.

14. The Returning Officer thereafter gives a list of four documents submitted by the Petitioner. One is a copy of the Writ Petition bearing W.P. No.1737/2004. The second document is an order of the General Administration Department of Government of Madhya Pradesh bearing No.267/2073/1(3)/74 Bhopal dated 10/04/75. The third document is a letter issued again by the General Administration Department, Government

of Madhya Pradesh bearing No.F-7-36/2004/Ek/Bhopal dated 05/02/14 and a copy of the Writ Petition (Civil) No.746/16 (Sohanlal Sondhiya Vs. The State of Madhya Pradesh and others). The Returning Officer is stated to have given a hearing to Mr. Sohanlal Sonodhiya, who was authorised by the Petitioner. It further observes that the documents submitted by the Petitioner reveal that the Majhi caste is a Scheduled Tribe. After that, there is a finding by the Returning Officer as follows:-

श्री महावीर की जाति मांझी है, बीमर नहीं इस बात के कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

15. Thereafter, the Returning Officer records that the service record of the Petitioner was called for from the office of the District Education Officer, Jaithari, Distt. Shahdol from where the Petitioner had superannuated. In the service record, the first page which has a date as 27.6.1981, reveals the caste of the Petitioner as "Dhimar". Thereafter, the Returning Officer comes to a finding that the caste certificate annexed by the Petitioner has been issued by the Naib Tahsildar, Jaithari and the same cannot be taken into consideration, as presently, the caste certificate can only be issued

by the SDO (Revenue). This finding is in the following words -

श्री महावीर द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न नायब तहसीलदार, जैतहरी, जिला शहडोल द्वारा प्र०क० 652/बी-121/1991-92 द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) है।

16. Lastly, the Returning Officer has reproduced the directions given by the Government in letter No.4/3/2008/JS-II/Vol.III dated 2<sup>nd</sup> July, 2008 in which the State Government had given the guidelines that- *"In order to prevent cases of non-SC/ST persons contesting election from reserved constituencies, the Returning Officer at the time of scrutiny of nominations should satisfy themselves that the candidates contesting from reserved constituencies belong to SC or ST, as the case may be. Wherever in doubt, the Returning Officer must insist on production of SC/ST certificate issued by competent authorities"*.

Thereafter, the Petitioner's nomination was cancelled by the Returning Officer.

17. All this Court is required to look into on the basis of evidence adduced before it is whether the order passed by the Returning Officer dated 03/11/16 cancelling the Petitioner's nomination form can be sustained in the eyes of law, if not, its effect and repercussions.

1. Learned counsel for the Petitioner has argued that his entire case is based upon Annexure P/2, which is the cause of action for the present petition. Annexure P/2 has been exhibited as Ex. D/4. He has specifically drawn the attention of this Court to three parts in the impugned order. The first part is the finding of the Returning Officer that the Petitioner has not adduced any evidence to show that he is not from the "Dhimar" caste. In other words, the learned counsel for the Petitioner has submitted that the Returning Officer called upon the Petitioner to give negative evidence to the effect of what he is not rather than accept him as what he is, from the available record. The second part of the impugned order which has been indicted severely by the learned counsel for the Petitioner is the finding of the Returning Officer that the caste certificate of the year 1991-92 produced by the Petitioner is not worthy of consideration, as the same has been issued by the Naib Tahsildar and as on date (the date on which the returning officer was considering the controversy) it is only the SDO (Revenue) who can issue the caste certificate. Thereby, the learned counsel for the Petitioner has submitted that the Returning Officer has not considered the caste certificate in the light of the appropriate authority who was vested with the

powers of issuing the caste certificate in the year 1991-92, but has rejected the same on the ground that presently, as on the date of the impugned order, it was only the SDO (Revenue) who could have issued the caste certificate. The third part of the impugned order that the learned counsel for the Petitioner has banked upon to show that the impugned order is wrong in law and on facts is the reference of the Returning Officer himself to the letter of the Election Commission dated 02/07/08, requiring the Returning Officer to rely upon the caste certificate issued by the Competent Authority, where the caste of the candidate is in doubt.

19. Learned counsel for the Petitioner has further submitted that the Returning Officer was not empowered to hold that the Petitioner was not from the SC/ST community in the light of the Madhuri Patil's judgment, which required the High Powered Committee to arrive at that conclusion. Learned counsel for the Petitioner has referred to the sale deed (Ex. D/3 - DW-6) where the Petitioner, who is the seller, is shown as belonging to the "Kahar" caste, which is a non-advansi. Learned counsel for the Petitioner has not denied this document and has accepted its genuineness. On the question whether "Majhi" case is a Scheduled Tribe, the learned counsel for the Petitioner has referred to

Δ/



the survey of the Madhya Pradesh Government, Department of Tribal Welfare, where under the part relating to the tribes of Madhya Pradesh, the "Majhi" caste is dealt with.

20. In support of the contention that the caste certificate issued in favour of the Petitioner in the year of 1991-92 was a valid document, the Petitioner has referred to Ex. P/3, which is the circular of the General Administration Department dated 20/02/91, where it is shown that on that date, the Naib Tahsildar was authorised to issue the caste certificate. Learned counsel for the Petitioner has referred to Ex. P/6 - DW-6, which is the circular issued by the General Administration Department dated 27/07/17. Specifically, the learned counsel for the Petitioner has drawn the attention of this Court to paragraphs 4 and 5 of the said circular. In paragraph 4, the General Administration Department has issued instructions to the effect that the Chief Secretary vide his circular dated 18/07/96 bearing No. F-7-2-1996 has clarified that once a caste certificate is issued, thereafter, all departments, undertakings and establishments will respect the same.

21. It is further stated in that circular that it is even clarified that he who intentionally harasses any one

with regard to the caste certificate, shall face suspension and disciplinary proceedings would be initiated against such an officer. In paragraph 5, the circular observes that it has been brought to the notice of the Government that persons to whom the caste certificate has been issued prior to the year of 1996, are being harassed unnecessarily. Such caste certificate when sent for verification to the Collector and the original records relating to the issuance of the caste certificate not being available, the verification of that caste certificate cannot be done due to which the holders of such caste certificate are put to various difficulties. Thereafter, the circular categorically states that it is made clear that those caste certificates issued on the basis of the directions given by the General Administration Department before the year of 1996, shall be considered valid even today. The said certificate cannot be considered as fabricated only because the records relating to those caste certificates are not available with the Collector. However, if there is a requirement relating to the authenticity of such caste certificate, the Collector will conduct a detailed enquiry and only thereafter, shall submit his report.

22. Thus, the learned counsel for the Petitioner has argued that the circular of the State Government

dated 27.7.2017 issued by the General Administration Department (Ex.P/6 - DW-6) establishes beyond any shadow of doubt that those caste certificate issued prior to the year of 1996, shall be considered as valid and as the Petitioner's caste certificate was issued in the year of 1991-92, the non-consideration of the same by the Returning Officer only on the ground that the same was not issued by an authorised officer of the State, was an erroneous ground for its rejection.

23. Thereafter, the learned counsel for the Petitioner has drawn the attention of this Court to the statement of DW-6 Gyan Singh, who is the Respondent in the instant election petition. Learned counsel for the Petitioner has drawn specific attention of this Court to paragraphs 13 and 14 of this witnesses' statement, which forms the part of his cross-examination. In paragraph 13, the witness was shown Ex. P/3, which is a letter of the General Administration Department dated 20/02/91 after perusing which, the Respondent/witness has stated that it is correct to state that for securing an employment in the Government service, the Naib Tahsildar was authorised to issue a caste certificate. Thereafter, he volunteers a statement to the effect that the Project Officer also was authorised to issue such

certificate. The Respondent was thereafter shown a document dated 27/07/17 (Ex. P/6), which the Respondent went through. At this juncture, an objection was raised by the learned counsel for the Respondent to the circular dated 27/07/17 sought to be exhibited by the learned counsel for the Petitioner, which the Ld. Counsel for the Respondent said is a document which has not yet been allowed by this Court and, therefore questioned the admissibility and reliability of the same.

24. The said document has been filed along with the I.A. No.8890/2018 and has been filed on 17/07/18. The applicant who is the Petitioner herein, has stated that after the filing of the Election Petition and during its pendency, the State Government had issued a notification dated 27/07/17 whereby, it has been observed that as per the earlier notification dated 26/07/84, the Additional Naib Tahsildars were competent to issue the caste certificate and as per the notification dated 26/05/87, the Tahsildar and Naib Tahsildar both were the competent authorities to issue a caste certificate. The said circular also observes that the earlier circulars and notifications issued before the year of 1996 are legally valid. Thus, as the said document came into existence after the filing of the

Election Petition, the Petitioner could not have filed it along with this petition. The objection raised by the learned counsel for the Respondent is only on the ground that the said application has not yet been allowed by this Court. However, the said document was perused by DW-6 Gyan Singh, the Respondent herein and in paragraph 14, the witness does not deny or call into question the authenticity of the document Ex. P/6 and in fact, he asserts the contents of the said document by stating that it is correct to suggest that as per Ex. P/6, the Naib Tahsildar was empowered to issue the caste certificate. As the said document has not been denied and its contents have been accepted, it is an admitted piece of document by virtue of Section 58 of the Evidence Act and no further proof is required to be called upon the said document. Under the circumstances, I.A. No.8890/2018 is allowed and the said document is taken on record and considered by this Court.

25. To a specific question by the learned counsel for the Petitioner whether "Majhi" caste comes under the Scheduled Tribe, D.W 6 (the Respondent) has answered that he does not have the personal knowledge about the same. Learned counsel for the Petitioner has drawn the attention of this Court to the statement of DW-1 Ajay Sharma, who at the

material point of time was posted as Collector, Anuppur. He was the Returning Officer in the bye election to the Constituency No.12, Shahdol. He says that he received a complaint from one Mr. Anil Gupta, who is the election agent of the returned candidate Mr. Gyan Singh with regard to the caste of the Petitioner. He further states that the caste certificate attached by the Petitioner along with his nomination was not issued by the appropriate authority. He also states that in the documents produced by the Petitioner, are the sale deed in which the Petitioner's caste has been shown as "Kahar" and the service record of the Petitioner in which his caste has been shown as "Dhimar". He further states that in the course of the enquiry, the Petitioner had produced documents to show that he was from the "Majhi" caste, which is notified as Scheduled Tribe in the State of Madhya Pradesh. In this regard, the witness refers to the caste certificate of the Petitioner and says that it was issued by the Naib Tahsildar of District Shahdol. He further states that at the time of enquiry, a caste certificate could only have been issued by the SDO(Revenue). Under the circumstance, this witness says that as the caste certificate issued by the appropriate authority, meaning thereby the SDO, was not produced by the Petitioner and as he

was referred to as "Dhimar" in his service record; his nomination was rejected. With regard to a question which was put to this witness as to what are the directions of the Election Commission relating to caste certificate, this witness has answered that the Election Commission has not issued any directions with regard to caste certificate and the same are governed by the directions issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

26. In his cross-examination in paragraph 6, this witness has stated that it is correct to suggest that "Majhi" caste belongs to Scheduled Tribe. He has also stated that it is correct to suggest that the circular of the General Administration Department dated 20.2.1991, which is Ex. P/3, the Naib Tahsildar has been authorised to issue a caste certificate. This witness also admits that it is correct to suggest that the caste certificate Ex. P/1 of the Petitioner is before the year of 1996 being that of the year 1991.

27. The effect of the statement of this witness is that the caste certificate which are issued after the year of 1996, could only have been issued by an officer not below the rank of SDO (Revenue). However, as the caste certificate issued to the Petitioner is of

the year 1991 and before 1996, and as the circular of 20/02/91 (Ex. P/3) empowers the Naib Tahsildar to issue a caste certificate necessarily therefore, the caste certificate issued to the Petitioner by the Naib Tahsildar, was as per the existing directions of the State Government in the year 1994 and, therefore, was issued by the appropriate authority. To a specific question put by the learned counsel for the Petitioner, whether the witness would accord sanctity to all the caste certificates which have been issued prior to 01/08/96, the witness has answered in the negative and has stated that he would not give sanctity to any of the caste certificate issued before 01/08/96. When asked for the reason why this witness would not accord any sanctity to such caste certificate issued before 01/08/96, the witness says that in view of the circular of the year 1996, wherein in Clause 18, it has been mentioned as to who are the officers/authorities empowered to issue the caste certificates and if any caste certificate is not issued as per clause 18 of the circular of the year 1996, then such caste certificate would not be considered as valid.

28. Thereafter, a specific question was put to this witness whether the Ex. P/3, which is a circular of the year 1991 empowering the Naib Tahsildar to



issue a caste certificate, has been cancelled by the Government? To which the witness says that there is no such order to his knowledge. The next question that was specifically put to this witness in his cross-examination was a suggestion to the effect that the directions given by the Government in their circular dated 20/02/91 (by which the Naib Tahsildar was empowered to issue the caste certificate) has not been cancelled by any subsequent order or circular of the Government. To this, the witness says that he has no knowledge of any such order. It is pertinent to mention here that the witness has been evasive while answering the last two specific questions put to him. In paragraph 11, this witness states that it is correct to suggest that in the service record of the Petitioner, the caste is not specified whether the Petitioner is from the OBC/SC/ST or general category. He further says that he did not see the entire service record and thereafter volunteers the statement to the effect that there was no need, as the first page of the said service book itself mentions the caste.

29. A specific question has been put to this witness that in the impugned order passed by him, he has observed that the Petitioner has not been able to prove that he is not from the "Dhimar" caste and

the question that was put to him that it was not possible for a person to prove that he was not from a particular caste, to which this witness has answered that his statement has not been appreciated in the proper context. He says that it is only mentioned in the said order that in the service record of the Petitioner, his caste has been shown as "Dhimar". He sums up by saying that as amongst the Government records, the service book is a very important document. In paragraph 15, this witness says that it is correct to suggest that a caste certificate is sufficient to establish a person's caste. Thereafter, he volunteers to give a statement that the said caste certificate would be valid if it has been issued by the authority who is presently authorised to issue it. Lastly, he says in paragraph 15, the witness states that he does not know whether before the year of 1996, the Naib Tahsildar was empowered or not to issue a caste certificate. This is in direct contradiction to the statement made by the Petitioner in paragraph 6 where he states categorically that it is correct to suggest that as per the order of the year 1991 (Annex.P/3), the Naib Tahsildar was the appropriate authority to issue the caste certificate. To a question put by the Court which was whether the existing authorised person can cancel or

declare as null a caste certificate issued before the new directions? and what is the legality of such a caste certificate? The witness has answered that as per his understanding, when a particular benefit is sought to be taken on the basis of a caste certificate, such an authority is authorised to issue a caste certificate at that point of time and the caste certificate issued by such authority would be given any credence.

30. Thereafter, the Petitioner has referred to Ex. P/2. This is a caste certificate dated 03/02/99 which has been issued by the Respondent, who at the material point of time was a Member of Parliament in the Lok Sabha. The said document is a caste certificate issued by Gyan Singh, the Respondent herein. In the said caste certificate, it is written -

श्रद्धांशित किया जाता है कि श्री महावीर प्रसाद वर्मा आत्मज श्री लिंगई प्रसाद वर्मा सा० जैतहरी तहसील जैतहरी जिला शहडोल, म०प्र० के निवासी है, इनकी मूल जाति मांझी है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है।३

Learned counsel for the Petitioner states that this is an admission by the Respondent himself who has issued the caste certificate in favour of the Petitioner that the Petitioner belongs to "Majhi" caste, which is a Scheduled Tribe. The learned counsel for the Respondent has countered the argument by saying that the Respondent in

his evidence has disowned this document and has stated that the same is fabricated. To this, the learned counsel for the Petitioner submits that Annexure P/7 (which has subsequently been proved as Ex. P/2-C), the Respondent has not denied the genuineness of this annexure filed along with the Election Petition in his written statement. Under the circumstances, it is clear that the rejection of this document by the Respondent in his Court's statement, is a half-hearted as the said contention has not been traversed by the Respondent in his written statement. Under the circumstances, it is established by this document also that the Respondent himself has admitted this fact that the Petitioner is from the "Majhi" caste, which is a Scheduled Tribe.

31. Learned counsel for the Respondent on the other hand, has argued that the Respondent has been elected as Member of Parliament with a margin of more than 1,00,000 votes. He has also stated that the Returning Officer has the right to reject the nomination form. He has further stated that the Respondent does not belong to the "Majhi" community and it was the duty of the Returning Officer to examine the objection relating to nomination. It is further submitted on behalf of the Respondent that the first burden of proof was on the part of the Respondent and the same was discharged by the Respondent by showing the caste of the Petitioner in the service record where the case of the Petitioner has been entered as "Dhimar". He has further stated that due

✓

process has been followed by the Returning Officer and an opportunity of hearing was granted to the Petitioner before rejection of his nomination paper. He further states that the service record and the sale deed was given to the Returning Officer by the Petitioner himself and, therefore, the burden of proof has been shifted to the Petitioner. Learned counsel for the Respondent refers to the provisions of Section 106 of the Evidence Act, according to which, learned counsel submits that the fact whether the Petitioner belongs to "Majhi" caste is only to him and therefore it was up to him to establish that the Petitioner is from the "Majhi" community.

32. Learned counsel for the Respondent also submits that the service record of the Petitioner discloses that he is a "Dhimar", and says that the burden shifted on the Petitioner in light of the service record and the sale deed to now establish that he was a "Majhi" and not a "Dhimar". He further states that no document other than the caste certificate has been produced to show that the Petitioner is a "Majhi". He also states that no original documents were produced before the Returning Officer and his nomination has been rejected as the original caste certificate was not produced. Thus, there were three different documents that were produced before the Returning Officer by the Petitioner. He has also submitted that even assuming for the sake of argument that the fault lay on the part of the Returning Officer, the Respondent ought not to be penalised for the

same. He has further stated that the fault, if any, on the part of the Returning Officer is technical. According to the learned counsel for the Respondent, the Petitioner should have got a fresh caste certificate issued from the SDO under the amended circulars as regards Ex. P/2, which is the caste certificate given by the Respondent himself to the petitioner. Learned counsel for the Respondent submits that the Respondent himself had no power to issue the caste certificate to the Petitioner and so the same has no relevance. Learned counsel for the Respondent refers to paragraph 11 of the cross-examination of DW-1 i.e. the Respondent herein to submit that the lacuna of not giving a specific denial to the contents of paragraph 21 to the Election Petition (relating to the issuance of caste certificate by the Respondent) in his written statement is made good by the Respondent while answering to a query put by the Petitioner in his cross-examination that the document in question is a fabricated one and not issued by him. He has further stated that there is no allegation that the Respondent ever influenced the Returning Officer in any manner whatsoever. He has further stated that the burden of proof was on the part of the Petitioner that the caste certificate was genuine.

33. Heard the learned counsel for the parties, perused the documents filed along with the Election Petition, written statement and also perused the evidence and exhibits placed before this Court, which have duly been proved. The

.h

issues No.1, 6, 7, 8, 9 and 10 are being dealt with together, as they are inter-connected and the evidence are common to all the said grounds. The undisputed facts that emerge from the pleadings and more importantly the evidence recorded in this case with regard to the genuineness of the caste certificate issued to the Petitioner by the Naib Tahsildar in the year 1991-92, showing the Petitioner as a member of Manjhi community and, therefore, being a Scheduled Tribe, is not disputed. The Returning Officer who conducted the enquiry with regard to the validity of the aforementioned copy of the caste certificate produced by the Petitioner, has only stated that the reason why the said certificate was not being considered was on account of the fact that as per the amended directions of the State Government in the year of 1996, the lowest functionary who could issue the caste certificate was the SDO and not below it. The original caste certificate was produced in the course of evidence and returned to the Petitioner. The Returning Officer has stated the reason as to why he rejected the nomination form of the Petitioner was on account of the Petitioner having produced a copy of his caste certificate and not its original. Under the circumstances, this Court shall examine whether the reason given by the Returning Officer for not considering the caste certificate of the year 1991-92 produced by the Petitioner, only on the ground that it was issued by the Naib Tahsildar and the appropriate authority vested with the power to issue the caste certificate

on the date on which the enquiry was being conducted, was the SDO. This Court would also examine whether the Returning Officer was correct in relying upon the caste shown in the Petitioner's service record as "Dhimar" and in the sale deed executed by him where the Petitioner has been shown as "Kahar", was appropriate. This Court shall also look into the reasoning given by the Returning Officer that the Petitioner has not been able to prove that he is not a "Dhimar" was an appropriate ground for rejecting the nomination paper of the Petitioner.

34. As regards the appropriate authority empowered to issue a caste certificate, the Returning Officer who has been examined in this case as DW-1, has admitted in paragraph 6 that prior to 1996, the Naib Tahsildar was authorised to issue a caste certificate. Thereby, the genuineness of the caste certificate produced by the Petitioner has not been questioned at all. In this regard, it would be important to refer to Ex. P/6, which is a circular dated 27/07/17 issued by the General Administration Department, Govt. of Madhya Pradesh. In the said circular, paragraphs 4 and 5 are of extreme relevance. In para 4, it has been clarified by the Government that once a caste certificate is issued, all departments, undertakings and establishments would have to honour it. The said circular also makes it very clear that deliberately harassing beneficiaries of the caste certificates the persons in relation to a caste certificate produced by them, can result in the suspension of such officers against



whom a disciplinary action can also be instituted. In paragraph 5 of the said circular, it is clearly stated that those persons to whom the caste certificate have been issued before August, 1996, should not be harassed unnecessarily. It clarified that as per the directions of the General Administration Department, those caste certificates that have been issued before August, 1996, shall be considered valid even today and the same cannot be considered as fabricated only on account that the records relating to those caste certificates are not available before the Collector. It further states that in the event an enquiry is required, the Collector shall carry out an elaborate enquiry and only thereafter place his report. Under the circumstances, the contention of the Returning Officer as stated by him in his deposition that the caste certificate issued before 1996 by the Tahsildar/Naib Tahsildar shall have no validity in view of the new directions given vide circular of August, 1996, is completely misplaced. This assumes relevance in light of the fact that the Returning Officer in his impugned order has himself reproduced the direction given in the letter of the Election Commission in letter dated 4/3/2008 J.S.-II/Vol.III dated 2<sup>nd</sup> July, 2008 wherein, the Election Commission has directed that - *"In order to prevent cases of non-SC/ST persons contesting election from reserved constituencies, the Returning Officer at the time of scrutiny of nominations should satisfy themselves that the candidates contesting*

*from reserved constituencies belong to SC or ST, as the case may be. Wherever in doubt, the Returning Officer must insist on production of SC/ST certificate issued by competent authorities”.*

- 35.** Thus, in the impugned order itself, the directive of the Election Commission is clear and unambiguous. It has clearly stated that the caste certificate shall be the document to dispel all doubts with regard to the candidate's caste in comparison to any other piece of evidence that may come to the contrary. Thus, the rejection of the caste certificate only on the ground that it is issued by the Naib Tahsildar, is unsustainable in the eyes of law and deserves to be quashed.
- 36.** As regards the reliance of the Returning Officer on the sale deed executed by the Petitioner in which he has referred to himself as “Kahar” and in the service book where the Petitioner has disclosed himself as “Dhimar” is concerned, the same ought not to have been used/relied upon by the Returning Officer when the caste certificate itself was available disclosing the caste of the Petitioner as “Majhi”. It would have been quite another situation if the Petitioner was not in a position to produce the caste certificate at all showing himself as “Majhi (ST)” in such a situation had the Returning Officer relied upon the discrepancies relating to caste in the sale deed on the service record, the same could have been taken into account to reject the nomination

paper of the Petitioner. The sale deed only proves that the Petitioner has executed a sale deed of his land in favour of the buyer. Its usage as a relevant piece of evidence would only be to prove or disprove a transaction between the Petitioner and the buyer. As regards the entry in the service book, one look at this document goes to show that reliance upon it by the Returning Officer was grossly misplaced. There are too many corrections and too many entries which have been struck off and fresh entries have been inserted. It shows that the original person in whose name the service book existed was one Ramjiyawan Rathore and his designation is shown as Lecturer. The name of Ramjiyawan Rathore has been struck off and over his name, the name of the present Petitioner has been written as Mahaveer Prasad and the designation Lecturer has been struck off and Peon has been added and Dhimar has been written on the side. That page does not bear any signature or thumb impression of the Petitioner. It is also relevant to mention here that the Returning Officer did not call for an explanation from the Petitioner with regard to the discrepancies allegedly found in relation to his caste in his service record and in the sale deed. Therefore, the reliance of the Returning Officer on Ex. D/3 (sale deed) and Ex. D/1 (front page of the service book), was completely uncalled for and unwarranted. Both the documents are not proof of caste of the Petitioner. There were relevant pieces of evidence in order to establish the contents of those

documents viz, one relating to the service of the Petitioner and the other relating to the details of the sale of land by the Petitioner to the buyer. These documents could not have been used as proof of caste of the Petitioner more so when the caste certificate was placed before the Returning Officer by the Petitioner. The findings of the Returning Officer that the Petitioner has not been able to prove that he was not a "Dhimar", as is reflected in the impugned order, is completely perverse and misleading. A person cannot be called upon to prove to what he is not. He can only be called upon to provide evidence with regard to his assertion as to what he is. Therefore, the rejection of the Petitioner's nomination paper even on the ground that he was unable to establish that he was not a "Dhimar", is rejected by this Court as being perverse and uncalled for.

- 37.** The contention of the learned counsel for the Respondent that the Petitioner has not been able to show that his caste certificate issued by the Tahsildar was genuine and that the same was not fabricated, is an argument that deserves to be rejected, as the ground for rejecting the Petitioner's nomination was never on account of a doubt upon the genuineness of the caste certificate. Even the Returning Officer does not state in his evidence or in the impugned order that the caste certificate is a document whose genuineness is doubted. The sole ground for its rejection by the Returning Officer is that it has not been issued by an appropriate authority. Under the circumstances, this

Court holds that the impugned order is bad on facts and in law. Therefore, the issue No.1 is answered in the affirmative. The issue No.6 is also answered in the affirmative, the issue No.7 is answered in the negative. Issue No.8 is also answered in the negative. As regards the issue No.9, this Court finds it essential to split the said issue into two parts i.e. issue No.9-A. With regard to issue No.9, the answer is in the negative and with regard to issue No.9-A, the answer is in the affirmative. As regards the issue No.10, the answer is in the negative.

38. As regards issue No.2, in retrospect, the issue appears to have been framed incorrectly. It cannot be said that the election so far as it concerns the Respondent, has materially affected by the non-acceptance of the Petitioner's nomination, as the clause relating to an election of a returned candidate being materially affected is Section 100(1)(d) of the Act, 1951. In order to return a finding with regard to the election of the returned candidate being materially affected, the same could have been if there was improper acceptance of any nomination under Section 100(1)(d)(i) of the Act, 1951. However, as the case is that of an improper rejection of the Petitioner's nomination, therefore, though it cannot be stated that the election of the returned candidate has been materially affected on account of the rejection of the nomination of the Petitioner, this issue has to be answered in the negative.

- 39.** As regards to issue No.3 whether the nomination paper of the Petitioner has improperly been rejected and its effect, this Court holds on account of what has been mentioned herein. The effect of such improper rejection of the Petitioner's nomination, is to declare the election void in light of Section 100(1)(c).
- 40.** As regards issue No.4, adequate proof has not been provided by the Petitioner to establish that he contested for the 85 Sohagpur Assembly Constituency in the year 2003, from the 87 Anuppur ST Assembly Constituency in the year 2008 and from the 12 Shahdol (ST) Parliamentary Constituency in the general election in the year 2014 on the basis of the caste certificate showing him as a member of "Majhi" community, as the nomination paper filled up by the Petitioner for the aforesaid elections have not been exhibited and proved by which he could have shown that he contested the aforesaid elections as a member of a "Majhi" community. Therefore, this issue has to be answered in the negative.
- 41.** As regards issue No.5, whether the Petitioner is equitably estopped from claiming himself to be a member of "Majhi" community on account of showing himself as "Kahar" in the sale deed and "Dhimar" in the service record, this issue must be answered in the negative on account of what has already been observed by this Court hereinabove that the sale deed is the only document to prove the transaction

pertaining to a land between the Petitioner and the buyer and his service record is the only proof for those matters relating to his service and not for anything else. Specially, as the said document cannot be used for the purpose of proving his caste for the purpose of rejecting the nomination paper, as the Petitioner had a valid caste certificate showing himself as "Majhi". As regards issue No.11 is concerned, this Court holds that the Petitioner has succeeded in proving his caste and the answer is in the negative.

**42.** As regards the issue No.12, the fact that this Court has arrived at an affirmative finding that there has been an improper rejection of Petitioner's nomination paper, therefore, under Section 100(1)(c) of the Act, 1951, the by-election to the 12 Shahdol Parliamentary Constituency held on 19.11.2016 is declared as void. The parties are to bear their own cost and the petition stands allowed. The office is requested to transmit a copy of this order passed by this Court under Section 98(4) of the Act, 1951 to the Election Commission. The operation of this order shall remain stayed for two weeks.

Sd./-  
(ATUL SREEDHARAN)  
Judge

**राज्य शासन के आदेश**  
**राजस्व विभाग**  
**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,**  
**राजस्व विभाग**

क्र.-23A-82-18-19-900

सागर, दिनांक 31 जनवरी 2019

ग्राम-हनोता उवारी पटवारी हल्का नं. 0016 तहसील बण्डा

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

बण्डा परियोजना बण्डा बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

बण्डा

3. ग्राम

हनोता उवारी

4. पटवारी हल्का नं.

16

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

326.093 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	मदन मुन्ना पिता रामचंद्र कासीराम पिता खिलानसींग धलौनी बेवा खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1	0.220	0.220	
			2	0.300	0.300	
2	राजेश बजेश कमलेश दिग्वजय पिस करनसींग गुलावरानी बेवा करन सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4\1	0.370	0.370	
			5\1	0.440	0.440	
			113/1	0.280	0.280	
3	राजेश पिता करनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4\2	0.360	0.360	
			5\2	0.440	0.440	
			113/2	0.270	0.270	



4	देवेन्द्रसिंह पिता पारीक्षतसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6\1	0.450	0.450
			7	0.730	0.730
			213	0.010	0.010
			219/2	0.010	0.010
5	राघवेन्द्रसिंह पिता पारीक्षत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6\2	1.200	1.200
			219/3	0.010	0.010
6	राजेश ब्रजेश कमलेश दिग्विजय पिता करनसींग गुलाबरानी बेवा करनसींगदांगीसा. देह छोटा पिता लछू पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	0.670	0.670
			12	0.580	0.580
7	भूपेन्द्र गब्बर कौशल गुडडी पुत्री कौशल सींग हल्की बहू बेवा कौशल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9\1	1.030	1.030
			53/1	1.000	1.000
			82	0.470	0.470
			219/1	0.010	0.010
			305/1	0.010	0.010
8	देवेन्द्र राघवेन्द्र कविन्द्र पिता पारीक्षत गेदाबाई पुत्री पारीक्षत गेदाबाई पुत्री पारीक्षत दुग्गबाई बेवा पारीक्षत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9\2	0.550	0.550
			305/2	0.020	0.020
9	जुग्गे पि. बल्दवान पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9\3	0.480	0.480
10	धनीराम पूरन पिता धीरतसींग गुडडी बेवा धीरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10	0.770	0.770
			302	0.560	0.560
11	छोटा पिता लछू पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.310	0.310
12	छोटा पि. नथू पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13	0.300	0.300
13	मुन्नीबाई पति नथू नाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14\1	0.410	0.410
14	कस्तूरीबाई पति हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14\2	0.800	0.800
15	सतोष रानी पति भरत रजक श्याम रानी पतिमुन्ना रजक पता सा उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14\3	0.400	0.400
16	नथू पिता परमू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15\1	1.730	1.730
			251	0.010	0.010
17	हीरालाल पिता परमू नाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15\2	1.730	1.730
			16	0.130	0.130
			54	0.990	0.990
18	पवन वा हरगोविंद आशीष ना बा पिता हीरालाल कण्णा ना बा पिता हीरालाल पा मा गिरजावाइ बेवा हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17\2	0.120	0.120
			22\1	1.150	1.150
19	भगवलसिंह पि. पंचम लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17\3	0.140	0.140

20	महाराजसींग पि.गुलाबसींगलोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17\4	0.160	0.160
21	हरदास पि. कलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17\5	0.140	0.140
22	शिवराज पिता गनेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18\1	0.800	0.800
			149/6	0.200	0.200
23	गोविन्द पिता कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18\2	2.140	2.140
			222/2	0.020	0.020
24	सुदामा पिता मकुन्दा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.220	0.220
25	काशीबाई पति सूरत सींग पता सा. चिनौवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.150	0.150
26	कल्ला पि. कच्छेदी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.450	0.450
27	मिहू सींग पि. रगवीर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22\2	1.520	1.520
28	सगना पति भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22\3	0.560	0.560
29	जमना वाल किशन पिस. कच्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	0.400	0.400
30	द्रोपतीबाई पति राजेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24\1\1	3.270	3.270
			292/1	1.450	1.450
31	विदयाबाई पति गब्बर सिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24\1\2	0.900	0.900
			328/2	0.400	0.400
			371/3	1.120	1.120
			381	0.140	0.140
32	राजेन्द्रसींग पिता धनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25\1	0.400	0.400
			67	0.890	0.890
			220/2	0.040	0.040
33	भरत नाबा पिता मुन्ना वली व खुद मा वतीबाई बेवामुन्ना पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25\2	0.400	0.400
			26	0.230	0.230
34	भगुंता, पि. कुदऊ काशीराम प्रीतम पिता कमला पार्वती नीमा दीपा पुत्री कमला जनकरानी बेवा कमला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	0.340	0.340
35	गुमना पि. थोवन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29	0.800	0.800
36	मनकुंवरबाई वे. मंगल अमान पि मंगल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30	0.580	0.580

37	नंदलाल ननेलाल उंफ. संतोषपसि. धनू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	0.710	0.710
			882	0.180	0.180
38	नथुवा गोकल जगदीश बारेलाल पिस. मन्नू मजली बेवा मन्नू मीरा पुत्री मन्नू पता सा. बम्होरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32/1	0.310	0.310
39	मानकुंवर जोजे मंगल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32/2	0.320	0.320
40	चिन्तामन पिता कड़ोरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.650	0.650
			34	0.170	0.170
41	भगुन्तीबाई पत्नि खुमान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35	0.150	0.150
			36	0.660	0.660
42	जमना बालकिशन धरमदास पिता कच्छेदी तारा पुत्री कच्छेदी चमार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	0.780	0.780
43	गुपाल जीवनदास पिता खुमानसींग पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.150	0.150
			40	0.300	0.300
			41	0.200	0.200
			320/4	0.550	0.550
			320/5	0.550	0.550
44	गुलाब पिता दासी सुधाबाई पति गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/1	0.700	0.700
45	जगदीश पिता मनमोहन बाई पत्नि जगदीश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/2	0.600	0.600
46	तुलसी रामदयाल पसि. गुमान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/3	0.700	0.700
47	बृजलाल गनपत पिस. मन्नूबेजन्ती पति ब्रजलाल हल्कीबहू पति गनपत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/4	0.700	0.700
48	संतोष पिता धनू पानबाई जोजे संतोष पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/5	0.600	0.600
49	तुलसी जसरथ पूरन पिस. तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/6	0.900	0.900
50	परम पिता रामू नत्थीबाई पति परम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/7	0.600	0.600
51	दुर्गा पि. तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/8	0.600	0.600
52	नंदलाल पि. धनू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/9	0.600	0.600
53	शिव पि. राजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/10	0.700	0.700
54	रमेश पि. तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/11	0.800	0.800

55	मनोहर पिता जोधन लक्ष्मीबाई वेवा जोधन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/12	0.700	0.700
56	बंशी पिता बबू राजबाई पति बंशी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/13	0.700	0.700
57	छत्तर पि. मनु पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/14	0.700	0.700
58	गोकल पि. मनु शारदाबाई पति गोकल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/15	0.700	0.700
59	काशीराम प्रीतम पिता कमला पार्वती नीमा दीपा पुत्री कमला जनकरानी वेवा कमला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/16	0.700	0.700
60	देवीसींग पि. लडू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/17	0.700	0.700
61	कोमल गनेश पिता लक्ष्मण सकूनबाई वेवा लक्ष्मण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/18	0.700	0.700
62	जमना बबू किशन पिस. कन्हेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/19	0.560	0.560
63	कोमल पि. नंदा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1	0.300	0.300
			343	0.300	0.300
			374	0.110	0.110
64	नथू पि. हल्लू गौड पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/2	0.340	0.340
65	राजू पि. फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	0.400	0.400
			143	0.310	0.310
			407	0.300	0.300
66	बड़ीबहू वेवा तिजई दशरथपूरन तुलसी पिस. तिजई छीताबाई पुत्री तिजई पता सा. मोनपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47	0.610	0.610
67	कोसावाइ वेवासूरतसींगजनकसींग पिता सूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.630	0.630
68	सरस्वती बाई मुन्नीबाई वेवा घूमनसींग देवी रूपसींग पिता जनकसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50	2.220	2.220
			168	1.320	1.320
			295	0.600	0.600
			315	1.350	1.350
			316/1	0.530	0.530
			365	1.290	1.290
69	सिबू पिता दासी खेमाबाई पति सिबू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51	0.780	0.780
70	मन्नु पिस. छोटेला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52	1.230	1.230

71	दयाचंद पि. गनेश पता सा. बण्डा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/2	0.800	0.800
			53/3	0.210	0.210
			292/2	0.500	0.500
			347	0.580	0.580
72	केशवप्रसाद कामतापिस. ग्याप्रसाद रामदास दिनेश पिता विहारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55	0.390	0.390
			241	0.060	0.060
73	मनोज पिता झल्ले अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/1	0.600	0.600
74	सरल मोती पिता दासी गीताबाई पति सरल ताराबाई पति मोती पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/3	1.210	1.210
75	लक्ष्मीकांत पिता कमला मीराबाई पति लक्ष्मीकांत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/5	0.900	0.900
76	देवेन्द्रसींग गोविंदसींग चन्द्रमणीसींग कृष्णप्रताप. मानक रणजीतसींग पिस. गजराजसींग बडीबहू बेवा गजराजसींग रघुनाथसींग पिता करनसींग ननीबहू बेवा रूपसींग पता सा. महलपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60	0.480	0.480
			68/1	0.240	0.240
			199/1	0.050	0.050
77	पहारसींग वहादुरसींग पिता राजाराम जानकीबाई दुगावाइपति भूमि स्वामी जानकी पुत्री राजाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61	0.210	0.210
			187	0.190	0.190
			195	0.040	0.040
			209	0.020	0.020
			212	0.010	0.010
			330	0.510	0.510
78	वलदवानसींग पिता शंकरसींग पता सी. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62/1	0.100	0.100
			186/2/1	0.030	0.030
			209/1118	0.050	0.050
			354/1	0.020	0.020
			368/1	1.340	1.340
			534	0.050	0.050
79	चन्द्रभान पिता शकरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62/2	0.090	0.090
			186/2/2	0.030	0.030
			209/1118	0.040	0.040
			354/2	0.030	0.030
			368/2	1.350	1.350

80	कल्याणसींग पिता रघुनाथसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64	0.210	0.210
			185	0.160	0.160
			196	0.040	0.040
			328/1	0.150	0.150
			353	0.050	0.050
			366/1	0.100	0.100
			367/1	0.740	0.740
81	नारानसींग पिता दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	0.190	0.190
			247	0.010	0.010
			312/1	0.990	0.990
			320/1	0.550	0.550
			352/1	0.020	0.020
			366/3	0.200	0.200
			399/1	0.300	0.300
82	गुलाबसिंह पिता हिम्मतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	0.570	0.570
			188	0.100	0.100
			189/2	0.040	0.040
			198/2	0.050	0.050
			210	0.020	0.020
			309/3	0.980	0.980
			310/3	0.820	0.820
			332/3	0.090	0.090
			535	0.050	0.050
			536	0.040	0.040
83	प्रेमबाई जोजे नत्थुसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/2	0.480	0.480
			85/2	0.210	0.210
			85/4	0.150	0.150
84	राजाराम पि. घूमनसींग जसवतसींग पिता गुलाबसींग मकरखन पुत्री गुलाबसींग भगवानसींग वारसींग महेन्द्रसींग खेतसींग पिता पचम सींग सियाबाई बेवा पचमसींगदुरसींग शैलेन्द्र पिता कपूरे उर्फ किशोरी हल्ले पुत्री कपूरे उर्फकिशोरी व खुद कपूरे उर्फ किशोरीगुलाबसींग भूमि स्वामी फूलसींग पिस. हिम्मतसींग पता. सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69	0.650	0.650
			70	0.240	0.240
			331	0.350	0.350
			355	0.050	0.050



85	ऊदम सीग पिता लालसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/1	0.120	0.120	
			71/3	0.100	0.100	
			74/2	0.020	0.020	
			98/2	0.660	0.660	
			356/2	0.280	0.280	
86	माधवसीग नन्दूसीग पिता शंकरसीग बडीवहू देवा शंकरसीगगीता किरन पिता शंकरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/2	0.050	0.050	
			72/1	0.140	0.140	
			73/1	0.430	0.430	
			74/1	0.010	0.010	
			191/1	0.040	0.040	
			191/3	0.030	0.030	
			216	0.030	0.030	
			351/4	0.220	0.220	
87	कल्यान पिता लालसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/4	0.050	0.050	
			72/2	0.040	0.040	
			73/2	0.240	0.240	
			191/2	0.110	0.110	
			351/5	0.450	0.450	
88	राजकुमार पिता लालसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	73/3	0.070	0.070	
			74/4	0.180	0.180	
			356/4	0.520	0.520	
89	चंद्रप्रताप पिता लालसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74/3	0.110	0.110	
			77/1	0.170	0.170	
			356/5	0.330	0.330	
			366/2	0.280	0.280	
90	पूरनसीग पि. मोहनसीग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/1	0.080	0.080	
			91/1	0.170	0.170	
			193/1	0.030	0.030	
			200/1	0.150	0.150	
			202/1	0.070	0.070	
			215	0.010	0.010	
			224/1	0.020	0.020	
			228/1	0.030	0.030	
239/1	0.060	0.060				

		240/1	0.020	0.020	
		266/1	0.210	0.210	
		293/1	0.510	0.510	
		303/1	1.210	1.210	
		306/1	0.110	0.110	
		308/1	0.700	0.700	
		318/1	0.110	0.110	
		344/1	3.100	3.100	
		373/1	0.080	0.080	
		464/1	0.150	0.150	
		465/1	0.040	0.040	
		466/1	0.040	0.040	
		467/1	0.330	0.330	
		470/1	0.050	0.050	
91	गिरिजाबाई पत्नि रामसीग लक्ष्मी पुत्री उमराव सीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/2	0.040	0.040
			91/2	0.180	0.180
			193/2	0.020	0.020
			200/2	0.140	0.140
			202/2	0.030	0.030
			224/2	0.020	0.020
			228/2	0.020	0.020
			239/2	0.060	0.060
			240/2	0.010	0.010
			266/2	0.210	0.210
			293/3	0.300	0.300
			303/3	0.700	0.700
			306/2	0.120	0.120
			308/3	0.400	0.400
			318/2	0.060	0.060
			344/3	1.810	1.810
			373/3	0.110	0.110
			464/3	0.090	0.090
			465/2	0.030	0.030
			466/2	0.030	0.030
			467/3	0.190	0.190
			470/2	0.050	0.050



92	राजेन्द्र पि. धनसींग कमलापुत्री रगवीर गंगा जमना ना.वा. पुत्री छोटे पा. मां व खुद प्रभाबाई बेवा छोटे भूमि स्वामी गौराबाई बेवा गुपाल इमरतीकेशबाई बेवा अजीत भावसींग प्रानसींग गन्धर्व ना. वा. पिस. अजीत पा. मां केशबाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	0.130	0.130
			194	0.080	0.080
93	शीलबाई पत्नि मिठूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/2	0.170	0.170
			78	0.190	0.190
			79	0.130	0.130
			80/2	0.120	0.120
			81/2	0.090	0.090
			85/3	0.220	0.220
94	गंगा जमना ना. वा. पुत्रीछोटेसींग ना. वा. खुद मां प्रभाबाई बेवा छोटेसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/1	0.800	0.800
			85/1	0.430	0.430
95	कौशल पारीक्षित पिस. संतोषगुलाबबाई भुन्ताबाई पुत्री संतोष पूरन पि. मोहन मजलीबहू बेवा हीरासींग ननीबहू भूमि स्वामी बेवा भैयालाल गजराजसींगपि. खूबसींग लुढकाबाई भाग बाई पुत्री खूबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/1	0.440	0.440
96	राजेन्द्र पि. धनसींग गोराबाई बेवा गोपालसींग बबू हीरा मिठू पिस. रगवीरगंगा मिला ना. वा. पुत्री भूमि स्वामी छोटे पा. व. खुद मां प्रभाबेवा छोटे कमला पुत्री रगवीर इमरती केशबाईबेवा अजीत थानसींग भूमि स्वामी गन्धर्वसींग धानसींग ना. वा.पिता अजीत पूरन पिता मोहन बेटाबाई पुत्री हीरासींग पारीक्षित कौशल पिस. भूमि स्वामी संतोषसींग नारानजू पि. पर्वतसींग गिरजा लक्ष्मी बाई पुत्री उमरावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	0.480	0.480
97	भगवानसींग पि. मरदनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/1	1.270	1.270
98	धनबाई बेवा चदनसींग पता सा.नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/2	0.800	0.800
			89	0.890	0.890
99	रंधीरसींग जनकसींग पिस. खूबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.380	0.380
100	रंधीर जनकसींग पिता खूबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87	0.453	0.453
101	गुलावरानी बेवा छोटेला पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक	भूमि स्वामी	88	1.050	1.050
102	सुरेश कुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	0.610	0.610
			95	0.160	0.160

			412/1	1.780	1.780	
103	सरोजबाई पत्नि देवेन्द्रसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94	0.690	0.690	
			96	0.750	0.750	
104	बडीबहू हल्कीबहू वेवालक्ष्मनसीग हीरासीग प्रीतमसीग राजेन्द्रसीग देवेन्द्रसीग पितालक्ष्मनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98	0.100	0.100	
105	ननू पिता शंकरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/1	0.650	0.650	
106	पप्पू पिता गनेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/1	0.400	0.400	
107	अमोल चन्द्रप्रताप पिता भगवानसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी		100/2	0.450	0.450	
108	भगवानसीग पि. मर्दनसीग सुमन पुत्री चेंदनसीग धनाबाई वे. चेंदनसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101	0.430	0.430	
			103	0.140	0.140	
109	रामलाल पिता कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/1	0.030	0.030	
			104/1	0.040	0.040	
			104/2	0.310	0.310	
			149/1	0.630	0.630	
			169/1	0.260	0.260	
			222/1	0.020	0.020	
			278/1	0.750	0.750	
110	मुकेश पिता कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/2	0.020	0.020	
			104/4	0.040	0.040	
			104/5	0.320	0.320	
			149/5	0.640	0.640	
			169/5	0.250	0.250	
			222/3	0.020	0.020	
			278/3	0.750	0.750	
111	जयकुमारी बल्दभगवानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105	0.440	0.440	
			891/1	0.630	0.630	
112	भागवती बाई पत्नि भगवानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106/1	3.400	3.400	
			513	0.110	0.110	
			514	0.310	0.310	
			516	0.100	0.100	
			518	0.740	0.740	

113	अमोलसींग.राजकुमार.पिता भगवान सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106/2	3.230	3.230	
			891/2	2.540	2.540	
114	प्रभाबाई जो. रोशनसींग पता सा. बाँदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	2.220	2.220	
			225	0.020	0.020	
115	महेन्द्र प्रताप सिंह पिता देवेन्द्र सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108	0.410	0.410	
			110	2.950	2.950	
			112	0.360	0.360	
			114	1.730	1.730	
116	रोशन सिंह पिता खेतसिंह पता सा. बाँदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	0.480	0.480	
117	सुरेन्द्र सिंह पिता रोशन सिंहसा० देह पता भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111	2.030	2.030	
118	जनकसींग पिता मुलुसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115	0.360	0.360	
			116	0.320	0.320	
			117	0.520	0.520	
			119	0.070	0.070	
			316/2	0.540	0.540	
			454	0.470	0.470	
119	कल्याणसिंह सूरतसिंह अनिलकुमार पिता रामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.590	0.590	
			166	0.450	0.450	
120	नथू पिता रगवीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/2	0.090	0.090	
121	रत्तू पिता हल्कू नाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	121/1	0.100	0.100	
			131/1	0.620	0.620	
			132	0.260	0.260	
			138/4	0.230	0.230	
122	पानबाई पति रत्तू नाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	121/2	0.030	0.030	
			131/2	0.600	0.600	
			133/2	0.400	0.400	
			134/2	0.390	0.390	
			138/2	0.200	0.200	
123	करन पिता हल्कू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	121/4	0.030	0.030	
			131/4	0.970	0.970	
			138/3	0.200	0.200	

124	किसुनसींग पिता लटकन सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124	0.060	0.060	
			125	0.270	0.270	
			126	0.720	0.720	
			127	0.080	0.080	
			129/1	0.130	0.130	
125	रामा पि. बाबू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130	0.130	0.130	
			135	0.080	0.080	
			146	0.030	0.030	
			372	0.030	0.030	
126	रमेश पिता हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	131/3	0.600	0.600	
			133/1	0.400	0.400	
			138/1	0.220	0.220	
127	खुमान मुलाम पिता ठलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	134/1	0.390	0.390	
			243/1	0.010	0.010	
128	जगन किशन डेलन पिता लटकन कडोरी पिता प्रीतम रामकली वेवा प्रीतम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136	0.210	0.210	
			142	0.100	0.100	
			145	0.050	0.050	
129	जानकीबाई पत्नि हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	137	0.190	0.190	
			144	0.340	0.340	
130	करनसींग पिस. बहादुरसींग प्रानसींग पिता मुलामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140	0.120	0.120	
			178	0.260	0.260	
			561	1.450	1.450	
131	रामाधार पि. ग्यानीष मदनवा. शंभू नन्हेभाई ना. वा. पिता रामनारायण वंसतीमिडू पुत्रियां भूमि स्वामी रामनारायण रामसखी बेवारामनारायण ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147	0.180	0.180	
			171	2.160	2.160	
			174	0.260	0.260	
132	पप्पू पिता गनेश प्रजापति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149/2	0.150	0.150	
133	गनेश पिता परम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149/3	0.160	0.160	
			169/2	0.160	0.160	
134	नरेन्द्र पिता गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149/4	0.350	0.350	
			169/4	0.250	0.250	
135	सहोद्राबाई पति सम्मरसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149/7	0.400	0.400	

136	छत्तरसींग पि. सीताराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	0.110	0.110
			151	2.810	2.810
			158	0.750	0.750
137	किशुनसींग पिता लटकन सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153	0.700	0.700
138	भगौना पिता रजुवा चमार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153/1117	0.070	0.070
			154	1.050	1.050
			449	0.930	0.930
139	राजा पिस गजराज सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155	1.700	1.700
			588	0.230	0.230
			589	0.160	0.160
140	कलू पिता परम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	156	0.150	0.150
141	हरदास पिता कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	157/1	0.720	0.720
142	यशोदाबाई पति हरदास प्रजापति पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	157/2	0.860	0.860
			234/2	0.040	0.040
143	सम्मरसींग पिता दलपतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159	1.760	1.760
144	प्रकाश पिता गंगा विष्णु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	161	1.190	1.190
			162	0.310	0.310
			223	0.060	0.060
			566	0.080	0.080
			567	0.130	0.130
145	प्रदीपकुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	163	0.160	0.160
			165	0.670	0.670
			170/2/2	0.360	0.360
			565	0.440	0.440
146	श्रीबाई पति प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167	0.430	0.430
			568	0.370	0.370
147	चन्द्रमान पिता गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	169/3	0.100	0.100
			278/2	1.510	1.510
148	यशोदा पति हरदास भागबाई पति रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	170/1	0.360	0.360
149	नन्नेभाई पिता गजराजसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	170/2/1	0.370	0.370
150	मानक पि. कनई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	170/3	0.720	0.720

151	नरेश वल्द मानकलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	170/4	0.370	0.370	
152	शिवराज भैयालाल मुन्नालाल पि. मकुन्दा मीरा कस्सी पुत्री मकुन्दा देवका बेवा मकुन्दा बबलू पिता बृजलाल सुनदा नाबा पुत्री बृजलाल वली व खुद मा जमनाबाई बेवाबृजलाल कोशाबाई पुत्री लच्छा तुलसाबाई कपूरीबाई वा. गुड्डी ना. वा. पुत्री धनवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172	1.810	1.810	
153	रामशरण रामाधार पिस. ग्यादीन गुलाबरानी बेवा रामसेवक मदन वा. शंभूनेभाई ना.वा. पिता राम भूमि स्वामी नारायण पा. मां व खुद रामसखी बेवा रामनारायण विट्टी पुत्री रामनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173	0.670	0.670	
			258	0.110	0.110	
			259	0.110	0.110	
			281	1.330	1.330	
154	ओंकार ताहर भबू पिता महाराजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	177	0.500	0.500	
155	रूपवती पति छोटेलाल पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	179	0.040	0.040	
			234/1116	0.050	0.050	
			520	0.700	0.700	
156	जोराबल टोडर पिस. पल्लूखंगार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234/1115	0.050	0.050	
157	ओंकार श्रीराम पिता पकू वेटी वाई बेवा पकू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183	0.400	0.400	
158	फूलसिंह पिता हिम्मतसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	189/1	0.140	0.140	
			198/1	0.060	0.060	
			208/2	0.020	0.020	
			290	0.740	0.740	
			310/2	0.080	0.080	
			332/2	0.080	0.080	
159	भगवानसिंह वीरसिंह महेन्द्र सिंह खेतसिंह पिता पचमसिंह लोधीबडी बहू बेवा पचम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190	0.140	0.140	
			197	0.070	0.070	
			208/1	0.010	0.010	
			309/1	0.970	0.970	
			310/1	0.900	0.900	
			323/1	0.130	0.130	
			325/1	0.030	0.030	
			326/1	0.040	0.040	
			327/1	0.070	0.070	
332/1	0.080	0.080				

160	गजराज पिता खूबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192	0.090	0.090	
			289	0.780	0.780	
			294	0.200	0.200	
			296	0.680	0.680	
			304	0.080	0.080	
161	तुलसीराम सन्तोष पिता धरमू लक्ष्मीबाई पुत्री धरमूरमेश सुरेश पिस. तखता सा. देहफूला पुत्री गजाधर पता सा. बहरोल भूमि स्वामी बंशती पुत्री गजाधर पता सा. पजतारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	203	0.040	0.040	
162	जुगलकिशोर अशोक पमोद मनीष पिता दमरु रामकली रामरती पुत्री दमरु रामदुलैया बेवा दमरु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204	0.020	0.020	
			338	0.440	0.440	
			339	0.370	0.370	
163	गिरजाबाई पुत्री उमरावसींगलोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	205	0.070	0.070	
			528	0.070	0.070	
164	मीराबाई गगाबाई पुत्री दलपतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/1	0.010	0.010	
165	गुलझारसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/2	0.010	0.010	
			531	0.010	0.010	
			532	0.050	0.050	
166	कीरतसींग रामसींग अखंडप्रताप पिता छुन्नी सींग राजबाई बेवा छुन्नी सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/3	0.010	0.010	
167	जाहरसींग पिता भगुन्त सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/1	0.010	0.010	
168	बृजेश पिता प्रहलादज्ञानबाई बेवा प्रहलाद लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/2	0.010	0.010	
169	दमयती बेवा गोविन्द सिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/3	0.010	0.010	
170	नथूसींग पि. रगवीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	211	0.020	0.020	
			291	0.530	0.530	
171	हीरालाल पि. परमू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214	0.010	0.010	
172	कल्याण राजकुमार चंद्रप्रताप पिता लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217	0.030	0.030	
173	सरस्वतीजनक मुन्नी बेवा घूमनसींगजनकसींग पि. मुलू सहोद्रा बाई बेवा आलमसींग फूलाबाईरामसखी जीराबाई पुत्री भूमि स्वामी सरस्वतीजनक मुन्नी बेवा घूमनसींगसींग पि. मुलू सहोद्रा बाई बेवा आलमसींग फूलाबाईरामसखी जीराबाई पुत्री भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218	0.080	0.080	



174	मिहूसींग पि. रगवीरसींगनथू हीरा पिस. रगवीरसींग गंगा जमना ना. वा. पुत्रीछोटे पालक व खुद मां प्रभा भूमि स्वामी बेवा छोटे गोरा बेवा गुपालकमला पुत्री रगवीर देवेन्द्रसींग पितापारीक्षित पता सा. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/1	0.050	0.050	
175	झलुवा पिता बारे लालकुम्हार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	221	0.040	0.040	
			430/1	0.430	0.430	
			433	0.510	0.510	
			434	0.170	0.170	
176	कपूरी बाई बेवा भूरे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226	0.030	0.030	
177	मंदिर श्री महवीर जीप्रबंधक कले. महो. सागर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.020	0.020	
			257	0.090	0.090	
			275	4.550	4.550	
178	द्रोपतीबाई बेवा अर्जुनसींगदेवेन्द्रसींग जवारसींग पिस. अर्जुनसींग भगवानसींगपि.मर्दनसींग भूमि स्वामी सुमन ना. वा. पुत्री चंदन पा. व खुद मां धनबाई बेवा चंदन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234/1	0.130	0.130	
179	तुलसाबाई जोजे कलू हरदासपि. कलू गनेश पि. परम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235	0.100	0.100	
			237	0.120	0.120	
180	कलाबाई पति गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236/1	0.250	0.250	
181	मनोज कुमार संतोष कुमारपिस. बृजमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	243/2	0.010	0.010	
182	रम्बो बेवा सल्लो कड़ोरेगुडे श्रीराम पिस. सल्ले पूरन ना. वा. पि. सल्ले पूनाफुल्ली पुत्री सल्ले पता सा. करीपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	244	0.060	0.060	
183	राजबाई बेवा नत्थूसींग अंजनाबाई पुत्री नत्थूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	245	0.020	0.020	
			369	2.500	2.500	
184	गनेश पि. शंकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	246	0.020	0.020	
185	अमरसींग पिता दरयावसींग पता सा. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	312/2	0.880	0.880	
			321	0.610	0.610	
			398	0.080	0.080	
			399/2	0.300	0.300	
			533	0.060	0.060	
186	गुलाबबाई बेवा बल्देवप्रसाद माखन पि. बल्देव प्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249/1	0.020	0.020	
187	हीरालाल पि. परमू रतीरामपि. हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249/2	0.020	0.020	



188	रन्तू, घरयाम, रमेश, करन पि. हल्कूपारवत्तीबाई नीमाबाई पुत्री हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277/1	0.310	0.310	
189	देवेन्द्र ननेमाई कुंजनभूपेन्द्र गब्बर बल्द केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	253	0.140	0.140	
			475	0.140	0.140	
			483	0.090	0.090	
190	गुलाबबाई बेवा जमना महादेव शैलेन्द पिता रामचरण कुसुमबाई बेवा रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	254	0.070	0.070	
			405	0.570	0.570	
191	गुलाबबाई बेवा जमनाप्रसाद, महादेव शैलेन्द पिता रामचरण कुसुमबाई बेवा रामचरण, संजय पि. बृजमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	256	0.040	0.040	
192	कड़ोरी लटोरी पिस. किशोरीसौर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	274	0.190	0.190	
			297	0.950	0.950	
193	श्री देव राधा कृष्ण जानकी रमण मंदिर मौजा मुह. देवेन्द्र सिंह पिता अर्जुन सिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	276	0.200	0.200	
194	गुलाब पिता दासी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277/2	0.340	0.340	
195	गीताबाई पति सरल कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277/3	0.220	0.220	
196	सुगन्धीबाई पति दयाचंद जैन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	292/3	0.960	0.960	
			351/6	0.400	0.400	
197	महेन्द्रसींग पि. पंचमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	311/3	1.000	1.000	
198	रामबाई पुत्री बाबूसिंह अमरसिंह पिता बाबूसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293/2	0.080	0.080	
			303/2	0.180	0.180	
			308/2	0.100	0.100	
			344/2	0.500	0.500	
			373/2	0.020	0.020	
			464/2	0.020	0.020	
199	दीपेन्द्र नाबा अजय नाबा वल्द व वली सम्मरसींग पिता दलपतसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298	0.530	0.530	
200	हरपाल पिता हल्कू गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	299/1	0.910	0.910	
201	मंगल पिता हीरा रखो पुत्री हीरा गोमती बेवा फूलसींग पति कुन्जी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	299/2	0.920	0.920	

202	सीताराम शंकरसींग विश्रवनाथना. वा. पिता वीरसींग पा. मां श्रीबाई पत्नि वीरसींगलोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	307	0.790	0.790	
203	भगवानसींग पिता-पचमसींग पत्ता-निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	309/2	0.400	0.400	
204	देवेन्द्रसींग गोविंदसींगचन्द्रवली कृष्णप्रताप मानक रंजीतसींग पिस. गजराजसींग बड़ीबहू बेवा भूमि स्वामी गजराजसींग नंनीबहूबेवा रंजीतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	311/1	0.730	0.730	
205	ओंकार ताहर पिता महाराजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	311/2	0.800	0.800	
206	खेतसिंह पिता पचम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	311/4	1.000	1.000	
			323/3	0.140	0.140	
			325/3	0.030	0.030	
			326/3	0.040	0.040	
			327/3	0.080	0.080	
207	जनकसिंह पिता मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	314	1.400	1.400	
208	प्रानसींग सुम्मेरसींगपि. कुदूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/1	0.600	0.600	
209	कड़ोरी पिता सल्ले अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/2	0.400	0.400	
210	विजयसींग किशनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/3	0.400	0.400	
211	लाडले डालचंद दीप पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/4	0.700	0.700	
212	कल्यानसींग पि. रामसींगरामकली पत्नि कल्यान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/5	0.400	0.400	
213	पीतम पि. लखनसींग रामकलीपत्नि श्रीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/6	0.400	0.400	
214	श्रीराम पि. नथू सरसुतीबाईपति. श्रीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/7	0.400	0.400	
215	मंगलसींग पि. हीरासींगरामकली पत्नि मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/8	0.400	0.400	
216	चिन्तामन पि. कड़ोरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/9	0.400	0.400	
217	कल्यान पि. श्रीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/10	0.600	0.600	
218	शिवलाल रोशन पिस. चख्खी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/11	0.600	0.600	

219	रामलाल पि. झल्लू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/12	0.400	0.400	
220	चुख्खी पि. पुट्टाई राजबाईपत्नि चुख्खी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/13	0.400	0.400	
221	श्रीराम पि. सल्ले कल्लोपति श्रीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/14	0.400	0.400	
222	सुदामा रामा बा रोहित नाबा पिता केशवपालक व खुदमा उमाबाई बेवा केशव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/16	0.400	0.400	
223	संतोष पि. भजन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/17	0.600	0.600	
224	रामदास पि. गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/18	0.400	0.400	
225	श्रीबाई बेवा बहादुर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/19	0.600	0.600	
226	गनेश पि. भगना पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/20	0.400	0.400	
227	रामदयाल पि. बमते पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/21	0.400	0.400	
228	शारदाबाई पत्नि नारानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320/2	0.550	0.550	
			329	0.500	0.500	
			351/1	0.670	0.670	
229	खिलान धनीराम पिता खुमान पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320/3	1.090	1.090	
230	मिडू सींग पि. रगवीर पता सा. देह भूमि स्वामी भगवानसींग वीरसींग पिस. पंमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	322	0.210	0.210	
231	जमनाबाई जोजू भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	323/2	0.130	0.130	
			325/2	0.040	0.040	
			326/2	0.060	0.060	
			327/2	0.070	0.070	
232	जोराबल पिता पल्टू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	334	0.380	0.380	
			340	0.100	0.100	
233	मंगल पिता हीरा रखो पुत्री हीरा गोमती बेवा हीरा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	335	0.490	0.490	
234	गनेशसींग पिता बबूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	336/1	0.400	0.400	
			351/2	0.470	0.470	
			356/1	0.280	0.280	
			356/3	1.250	1.250	
235	माधव पिता शंकरसींग पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	336/2	1.270	1.270	
			351/3	0.280	0.280	
236	कोमलबाई पति लालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	336/3	1.680	1.680	

237	जोराबल टोडर पिस. पल्दूसगनाबाई पुत्री पल्दू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	337	0.420	0.420	
238	ममताबाई पति नरेन्द्रसिंह पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	341	0.170	0.170	
			384/5	0.400	0.400	
			430/2	0.400	0.400	
			455	0.580	0.580	
239	ज्ञानबाई पति. पूरन सिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	342	0.270	0.270	
240	सेवपाल पिता हल्के पाल पता सा उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	345	0.860	0.860	
241	कमलाबाई पुत्री रगवीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	346	0.970	0.970	
242	बहादुर पिता राजाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	348	0.400	0.400	
			349	0.800	0.800	
243	मल्थू उर्फ पहारसींग पिता राजाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	350	1.200	1.200	
244	लालसींग पिता खुमानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	356/6	0.400	0.400	
245	राजेन्द्रसींग पिता महाराजसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	357	0.880	0.880	
246	रोशनसिंह पिता रघुनाथसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	367/2	0.750	0.750	
247	गीताबाई पति बालकिशन पता सा. सुरखी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	370/1	0.540	0.540	
248	प्रीति पति काशीराम विश्वकर्मा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	370/2	0.530	0.530	
249	सुनीताबाई पति लोटन विश्वकर्मा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	370/3	0.530	0.530	
250	महादेव पि. छोटेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	371/1	1.490	1.490	
251	टीकाराम पिता छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	371/2	1.060	1.060	
252	भूपेन्द्र सिंह पिता करनसिंह गुलाब सिंह फूलसिंह हेमतसिंह पिता बाबूसिंह सरोजबाई पुत्री बाबूसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	373/4	0.110	0.110	
253	भागबाई पति गुलझारसींग पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	375	0.870	0.870	
			378/2	0.400	0.400	
			417/1	0.150	0.150	
			417/2	0.450	0.450	
			418	0.160	0.160	
			419	0.150	0.150	

254	विनोद प्रदीप पिस. भगवती प्रसाद ललित किशोरी मनीषा देवी प्रीति पुत्री भगवतीप्रसाद शकुन्ताला वे. भगवतीप्रसाद पता सा. बद्रीनाथ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	377/1	0.330	0.330	
			458/1	3.170	3.170	
			461	0.200	0.200	
			462	0.090	0.090	
255	गोविन्द सिंह पिता भोपालसिंह पता सा नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	377/2	0.330	0.330	
256	गुलझारसींग पिता भगुन्तसींग पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	377/3	0.330	0.330	
			378/1	0.610	0.610	
			415/1	0.400	0.400	
257	रामकली जोजे चन्दनसिंह लोधी पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	379	1.000	1.000	
258	बाबूलाल भगवतीप्रसाद पिस. दुर्गाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	380	0.250	0.250	
259	महताप पिता छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	383	0.230	0.230	
560	लोटनसींग पिता कुन्दन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/1	0.650	0.650	
261	काशीराम पिता कुन्दन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/2	1.050	1.050	
262	बालकिशन पिता कुन्दन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/3	0.660	0.660	
			387	1.190	1.190	
263	लोटन काशीराम पिस कुन्दन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/4	0.020	0.020	
264	नारानसींग पिता हीरासींग पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	385	1.450	1.450	
			415/2	0.550	0.550	
			415/3	0.400	0.400	
265	घसीटीबाई पुत्री परमा हीराबाई वेवा परमा घोबी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	386/1	0.450	0.450	
			484	0.020	0.020	
			877	0.010	0.010	
266	चन्द्रवती पुत्री परमा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	386/2	0.460	0.460	
267	भागबाई पुत्री परमा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	386/3	0.450	0.450	
268	लछमन कल्याण वल्द गजराज पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	395	0.210	0.210	
269	इन्तावाई पति गायेन्द्र सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406	0.430	0.430	
270	ममता जोजे नवीनकुमार तिवारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	408/1	1.610	1.610	
271	रचितकुमार उर्फ मन्नु वल्द नवीनकुमार तिवारी जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	408/2	1.000	1.000	

272	सतीशकुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	412/2	1.780	1.780	
273	मगवतीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	413/1	1.230	1.230	
274	नरेन्द्रसींग वि. खिलानसींग पता निवासी. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	413/2	0.400	0.400	
			428	0.830	0.830	
275	कृष्णकुमार पिता सत्यनारायण मीराबाई वेवा सत्यनारायण पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	414	1.780	1.780	
276	चंदनसींग पिता गोविंदसिंह गोविंदपिता भोपाल सिंह पता निवासी ग्राम नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/4	0.830	0.830	
277	कल्याण माखन हरि पिता रामसींग अनीता पुत्री रामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	416	0.570	0.570	
278	गुलाब पिता जनकसिंह पता सा. देह नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	422/1	0.400	0.400	
279	कल्याण गुलाब रागवेन्द माधव सिरदारसिंह पिता जनकसिंह कुन्जन नरेन्द हाकस पिस खिलान पता सा नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	422/2	0.200	0.200	
280	रूपसींग पिता अधारसींग पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	423	0.080	0.080	
281	निरतापरसिंह पिता अधारसिंह पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	424	0.080	0.080	
			437	0.620	0.620	
			438/2	0.080	0.080	
			439/2	0.030	0.030	
			441/3	0.870	0.870	
282	लाखनसींग पिता लटकनसींग पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	425	0.100	0.100	
			440	0.150	0.150	
			441/2	0.800	0.800	
283	उत्तमचन्द्र पिता पन्नालालकैलाश पिता दीपचन्द्र रतन जगन पिता हरिया डोमन पिता खिलान राधाबाई बेबा खिलानमाधवसींग पि. जनकसींग लोधी सा. नीमोन पता सा. निमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	427/1	1.830	1.830	
284	माधवसींग पिता जनकसींग लोधी पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	427/2	0.720	0.720	

285	निर्मलाबाई बेबा बाबूलाल सत्यनारायण श्रीनारायण राजनारायण अरविन्द्र पिता बाबूलाल शारदाबाई सुशीलाबाई शीलवती पुत्रिया बाबूलालमनीष नावा. पिता रूपनारायण रश्मि प्रियंका नावा. पिता रूपनारायण पा. व खुद माँ बबीता बेबा रूपनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	429	0.630	0.630	
286	रोहित वल्द मनोहरसिंह लक्ष्मीबाई जोजे मनोहरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	432	1.670	1.670	
287	कौशल पिता गोरेलाल बेटीबाई देवा गोरेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435	0.030	0.030	
			436	0.080	0.080	
			439/1	0.240	0.240	
			481/1	0.040	0.040	
			481/2	0.050	0.050	
288	रूपसींग निरपतसींग पिताअधारीसींग महेन्द्रसींग ना.वा.पिता गुलाबसींग वलीमांखेमतीबाई देवा गुलाबसींग पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	438	0.080	0.080	
289	महेन्द्र पिता गुलाबसिंह पता निवासी ग्राम नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	438/1	0.080	0.080	
290	मालतीबाई जोजे लाखसिंह पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	441/1	0.800	0.800	
291	रत्तमचन्द्र पिता पन्नालाल पता सा. नीमोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	442	2.360	2.360	
292	संजय पिता ब्रजमोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	458/2	6.400	6.400	
293	देवेन्द्र पिता केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	459/1	0.890	0.890	
			460/1	0.310	0.310	
294	नहेसींग पिता केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	459/2	0.900	0.900	
			460/2	0.300	0.300	
295	ललताबाई सुन्दरबाई गोमतीबाई पुत्री लछमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	474	0.050	0.050	
296	सुरेन्द्र लखन पिता जगन्नाथ भागवाई देवा जगन्नाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	476	0.040	0.040	
297	खिलान पिता थोबन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	478	0.040	0.040	
298	मुजिया हीरा पिताधनुवा रूपसींग बा सरोज नाबा पिता रगवर पालक व खुद मा गोरबाई देवा रगवर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	479	0.020	0.020	
			966	1.230	1.230	
			975	0.120	0.120	



299	रामू खिलान गोटी पिताधोवन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	480	0.030	0.030	
300	पूरन प्रानसींग शिवहरे पिता कुदू कुमेर पिता सुमेर सीमा पूजा ना.बा.पिता सुमेर वली व खुद सा मीरावाई वेवा सुमेर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	482/1	0.050	0.050	
301	नथू पिता नन्हीवाई वेवा पंचम शांति पिता पंचम जीवन पिता हल्कू राधाबाई केशरवाई पिता हल्कू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	482/2	0.040	0.040	
302	घसीटीबाई बारीबाई पुत्री बालचन्द्र पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	482/3	0.050	0.050	
303	भूपत कुन्जन पि. भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	482/4	0.040	0.040	
304	फूलसींग गुलाबसींग पिताहिम्मतसींग दरयाबसींग पिता प्रतापसींग देवेन्द्रसींगजवारसींग जाति +भूमि स्वामी पिता अर्जुनसिंहद्रोपतीबाई वेवा अर्जुनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	511	0.040	0.040	
			512	0.090	0.090	
305	अमोलसिंह चन्द्रप्रतापसिंहपिस. भगवानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	515	0.090	0.090	
306	जबाहरसिंह पिता अर्जुनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	517	0.520	0.520	
			525	0.130	0.130	
			895	2.550	2.550	
307	राजेश पिता रोशनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	519	0.320	0.320	
			883	0.110	0.110	
308	गनेशसींग पिता रंधीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	526	0.130	0.130	
309	मजबूत गनेश पितारंधीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	529	0.030	0.030	
310	मनोहर पिता मुन्शीसिंह राजबाई वेवा मुन्शीसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	530	0.030	0.030	
311	हीरा पिता चौदा हल्ली दीपापुत्री चौदा खरगा पिता गरीबा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	562	0.990	0.990	
			563	0.370	0.370	
312	अभिषेक नाबा स्वाती नाबा पिता इन्द्राजसींग वली मा व खुद जयन्ती वेवा इन्द्राजसिंह दागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571	0.250	0.250	
			572/1	0.530	0.530	



313	कुअरसीग इन्द्राजसीग पिता बैजनाथमायाय राजकुमारी पुत्री बैजनाथ त्रिवेणीबाई बेवा बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	572/2	0.530	0.530	
			578/2	0.320	0.320	
314	भाई साहब पिता गजराज सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	578/1	0.310	0.310	
315	महराजसीग पि. सूरतसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	577	0.440	0.440	
316	केशरबाई पत्नि छततरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	579/1	0.840	0.840	
317	पवन पुष्पेन्द पिता चन्दन सीग पता सा उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	579/2	0.800	0.800	
318	राहुल पिता रामदीन रेकवार पता सा काकागज सागर भूमि स्वामी		579/3	0.800	0.800	
319	राजेश ब्रजेश कमलेश दिग्विजय पिता करनसिंह गुलाबराणी वेवा करनसिंह देवन्द्र अरविंद पिता फुलसीग कुंवरबाई वेवा फुलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	587	1.350	1.350	
320	विशु ननेलाल गोविन्दी पकाश उद्रेत पिता रतुवा मता पुत्री रतुवापुष्पाबाई बेवा रतुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	845	0.060	0.060	
321	कल्याण गुलाब बाला पिता कनई चैतु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	846	0.040	0.040	
322	हीरा पिता चौदा हल्ली दीपापुत्री चौदा खरगा पिता गरीबा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	874	0.060	0.060	
323	मनबाई पिता अरजन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	875/1	0.030	0.030	
324	ओंकार बा महेन्द्र ना बा पिता व वली ब्रजलाल पिता मनु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	875/2	0.080	0.080	
325	राजेन्द्र पिता रोशनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	883	0.110	0.110	
326	लच्छीबाई जोजे तन्हा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	884	0.250	0.250	
			885/1	0.260	0.260	
327	मनबाई जोजे मल्थू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	885/2	0.260	0.260	
			886	0.150	0.150	
328	मजबूतसीग पिता रंधीरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	887	0.260	0.260	
			981	0.430	0.430	
			984/1	1.040	1.040	
329	महेन्द्र वल्द देवेन्द्र सरोजबाई भूपेन्द्र पिता जसवंतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	892	2.060	2.060	
330	मुजिया पिता धनुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	893	0.460	0.460	

331	सीताराम पिता रल्ली पखोबाई बेवा रल्ली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	894/1	0.320	0.320	
332	जसवन्त उर्फ जवाहरसींग पिता अर्जनसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	894/2	0.160	0.160	
333	गुलाब पिता कनई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	898/2	0.400	0.400	
334	रमेश सुरेश पिता तखता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	963	1.170	1.170	
335	गोमतीबाई जौजे मनोहर पता सा. उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	967	0.270	0.270	
336	भगवानदास रामबाबू रामू पिता कडोरी ऊ बड़डे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	972	0.420	0.420	
337	मजबूतसींग पिता रंधीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	976	0.360	0.360	
			977	0.280	0.280	
338	बैजयन्तीबाई पतिमोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	979	0.180	0.180	
339	देवेन्द्र पिता अर्जुन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	982	0.240	0.240	
340	केशरीसींग रंधीरसींगपिता विन्द्रावन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	983	0.250	0.250	
341	तुलसीराम मूलचन्द्र पिता रामदीन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	985	0.500	0.500	
			986	0.700	0.700	
342	भूपेन्द्रसींग पिता केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	989/1	0.800	0.800	
343	गब्बरसींग पिता केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	989/2	0.840	0.840	
344	कुंजन पिता केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	989/3	0.800	0.800	
	<b>योग</b>		<b>695</b>	<b>326.093</b>	<b>326.093</b>	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं पृष्ठ 2895 के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग**

प.क्र.-2394-भू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 09 मार्च 2019

**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में खण्डारबेह जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ खण्डारबेह जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

खण्डारबेह जलाशय

तहसील - खिलचीपुर

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हि.में)
	निजी भूमि खण्डारबेह जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम-मोतीपुरा की भूमि	12.286
2	ग्राम-खण्डारबेह की भूमि	3.714
	<b>योग</b>	<b>16.000</b>

**(1) खण्डारबेह तालाब के ग्राम मोतीपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से**

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	गंगाराम,खेमा,रामचन्द्र पिता नाथू पुरालाल,डूंगर,भवंरीया पिता किशोर गंगाबाई बेवा किशोर जा.चमार	104/35	0.190	0.190
		104/36	0.251	0.251
		104/48	0.328	0.328
	<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>0.769</b>	<b>0.769</b>
2	कनीराम,मांगीलाल पिता धुलजी लोडा	41,42/1	0.056	0.056
		43/1	0.156	0.156
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.212</b>	<b>0.212</b>
3	हरीबगस पित धीसा लोडा	239/104	0.393	0.393
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.393</b>	<b>0.393</b>
4	पुरीलाल पिता रामसिंह नन्दुबाई पति रामसिंह जा. लोडा	35	0.267	0.267
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.267</b>	<b>0.267</b>
5	भंवरलाल पिता गंगाराम लोडा	36/1	0.456	0.455
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.456</b>	<b>0.455</b>

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
6	शिवसिंह पिता छीता लोडा हि.1/2 मांगीलाल किशन मंथरी बेवा किशन लोडा हि 1/2	37	0.012	0.012
		38	0.012	0.012
		80/1	0.114	0.144
		80/2	0.113	0.113
		250/104/1	0.582	0.432
		250/104/2	0.583	0.422
		39/1	0.057	0.057
		39/2	0.056	0.056
		40/1	0.348	0.348
		40/2	0.348	0.348
	योग	10	2.225	1.944
7	मांगीलाल,फूलचन्द पिता गंगाराम लोडा	43/2	0.157	0.157
		87/2	0.270	0.270
	योग	2	0.427	0.427
8	कवरलाल,गोरधन,अमरसिंह पिता शंकरलाल दोलीबाइ बेवा शंकरलाल जाति लोडा	43/3	0.157	0.157
		योग	1	0.157
9	मुकचनबाई बेवा पन्नालाल मदनलाल पुरसिंह पिता पन्ना लोडा	34/1/1	0.265	0.265
		78/3	0.109	0.109
	योग	2	0.374	0.374
10	मांगीलाल पिता हरलाल लोडा	34/1/2	0.265	0.012
		203/104/2	0.057	0.057
	योग	2	0.322	0.069
11	रामलाल पिता जगन्नाथ लोडा	34/2/1	0.028	0.020
		236/104/1	0.060	0.060
		48	0.356	0.110
		88/1	0.129	0.129
	योग	4	0.573	0.319
12	कवरलाल पिता अमरा लोडा	47/3	0.250	0.220
		योग	1	0.250
13	भेरू पिता अमरा लोडा	47/2	0.249	0.177
		योग	1	0.249
14	कवरलाल,रामस्वरूप,राजाराम पिता बापूलाल,प्रमबाई पत्नि बापूलाल,रेशमबाई पत्नि बापूलाल मेथीबाई, अनारबाई, ममताबाई, चन्द्रकला पुत्री बापूलाल कस्तुरीबाई बेवा मांगीलाल लोडा नि. मोतीपुरा	45	0.405	0.405
		69	0.559	0.040
		84	0.138	0.138
		83	0.065	0.065
		82	0.304	0.304
	योग	5	1.471	0.952

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
15	देवसिंह, देवीलाल पिता नन्दा लोडा	70	0.380	0.150
		93/2	0.178	0.178
	योग	2	0.558	0.328
16	पुरा, नारान पिता कालू लोडा	93/1	0.178	0.178
		91	0.132	0.132
		92/1		
	योग	3	0.310	0.310
17	रामलाल, भेरिया, कनीराम, हजारी पिता जगन्नाथ लोडा	89	0.053	0.030
		योग	1	0.053
18	रामचन्द्र पिता हीरा लोडा	74	0.024	0.024
		75		
		203/104/1	0.057	0.057
		235/104/1	0.132	0.132
	योग	4	0.213	0.213
19	देवा पिता खेमा किशन पिता कनीराम लोडा	77	0.024	0.024
		योग	1	0.024
20	चम्पा पिता कालू लोडा	78/1	0.072	0.072
		योग	1	0.072
21	चम्पा पिता कालू जडावबाई पुत्री कालू लोडा	79/1	0.079	0.079
		योग	1	0.079
22	मु. हीराबाई बेवा पुरीलाल, मांगीलाल अमरलाल, बापूलाल, राधेश्याम पिता पुरीलाल लोडा	79/2	0.080	0.080
		76/2	0.022	0.022
		योग	2	0.102
23	अमरलाल, गोपीलाल, कस्तुरीबाई बेवा गोपीलाल	79/3	0.080	0.080
		76/3	0.022	0.022
		योग	2	0.102
24	रामचन्द्र पिता नाथु चमार	104/23/6	1.173	1.000
		योग	1	1.173
25	लालसिंह पिता श्रीलाल मु. मुलीबाई बेवा श्रीलाल जाति लोडा	46/1	0.235	0.235
		238/104	0.166	0.166
		204/104	0.190	0.190
		214/104	0.077	0.077
	योग	4	0.668	0.668
26	मदनलाल पिता पन्नालाल जाति लोडा	178/104/3	0.165	0.165
		योग	1	0.165

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
27	जगन्नाथ पिता उंकार लोडा	235/104/2	0.131	0.131
		78/2	0.110	0.110
	योग	2	0.241	0.241
28	भेरू पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/2	0.060	0.060
		88/2	0.129	0.129
	योग	2	0.189	0.189
29	कनीराम पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/3	0.060	0.060
		88/3	0.130	0.130
	योग	2	0.190	0.190
30	हजारी पिता जगन्नाथ लोडा	236/104/4/4	0.059	0.059
		88/4	0.130	0.130
	योग	2	0.189	0.189
31	दौलतराम पिता मानसिंह लोडा	237/104	0.166	0.166
	योग	1	0.166	0.166
32	भंवरलाल पिता घीसा हि.1/2 गंगाराम आ0मानसिंह हि0 1/2 लोडा	90/1	0.160	0.160
		86/1	0.170	0.170
	योग	2	0.330	0.330
33	कमलीबाई पति भंवरलाल लोडा	90/2	0.079	0.079
		86/2	0.085	0.085
	योग	2	0.164	0.164
34	कंवरलाल,गोरधन,अमरसिंह,पिता शंकरलाल दोलीबाई बेवा शंकरलाल लोडा	87/1	0.135	0.135
	योग	1	0.135	0.135
35	करणसिंह हरकचन्द्र पिता भंवरलाल नि.ग्रा.	202/104	0.190	0.020
	योग	1	0.190	0.020
36	चम्पा,प्रभु पिता कालू जडाव पुत्री कालू जाति लोडा नि.ग्राम	76/1	0.021	0.021
	योग	1	0.021	0.021
37	भंवरलाल पिता गंगाराम जाति लोडा नि.	44/1	0.107	0.107
	योग	1	0.107	0.107
38	बापुलाल पिता खेमा जाति चमार नि.ग्राम	104/23/7	1.173	0.913
	योग	1	1.173	0.913
		74	14.359	12.286
	<b>खण्डारबेह</b>			
39	बजेसिंह पिता मांगीलाल बक्सू पिता उंकार	35	0.821	0.821
		36	0.659	0.659
		37	0.154	0.154
		50/70	0.405	0.405
		50/99	0.028	0.028
	योग	5	2.067	2.067

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
40	रतन, प्रभु, कालीबाई पिता रामसिंह लोडा	38	0.934	0.720
	योग	1	0.934	0.720
41	मांग्या पिता नन्दा गोपी पिता प्यारा	50/118	0.773	0.523
	योग	1	0.773	0.523
42	मांग्या पिता नन्दा जाति लोडा	50/71	0.482	0.404
	योग	1	0.482	0.404
	कुल योग	8	4.256	3.714
	महायोग	82	18.615	16.000

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2019

क्र. D-1922-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 11 से 15 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2019

क्र. D-2053-दो-2-23-2017.—श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेन्स), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 से 15 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेन्स), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेन्स) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2019

क्र. D-2266-दो-2-5-2004.—श्री अरविंद कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-

3(ए) 19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440-21-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 30 मार्च 2019 तक 01 वर्ष 05 माह की अवधि हेतु बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2019

क्र. C-1281-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1283-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 11 से 15 मार्च 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1953-दो-2-21-2018.—श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 13 से 15 मार्च 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1955-दो-2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 25 से 30 मार्च 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 19 मार्च 2019

क्र. A-799-दो-2-45-2018.—श्री संजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 22 दिसम्बर 2018 से दिनांक 1 जनवरी 2019 तक के शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/21-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2019

क्र. D-2230-दो-2-7-2019.—श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 25 से 30 मार्च

2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2232-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 26 से 29 मार्च 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2234-दो-2-33-2018.—श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2236-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 12 से 15 मार्च 2019 तक,

चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2238-दो-2-69-2017.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 6 से 12 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2240-दो-2-34-2018.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-2242-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 5 से 8 मार्च 2019 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2244-दो-2-112-2017.—श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 25 फरवरी से 15 मार्च 2019 तक, उन्नीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 से 15 मार्च 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-2246-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 11 से 14 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्द्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2248-दो-2-62-2018.—श्री ए. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना को दिनांक 18 से 20 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना को मुँरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2250-दो-2-13-2019.—श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 2 से 8 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. 46-स्था. सैट-2019.—श्री शिव कुमार दुबे, लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर को दिनांक 11 से 23 फरवरी 2019 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत

किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों को प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्री दुबे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री दुबे को अस्थायी रूप से लेखाधिकारी उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो लेखाधिकारी के पद पर कार्य करते रहते।

ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा).